

आय रिटर्न दाखिल करने और स्व-मूल्यांकन के प्रावधान



अध्ययन परिणाम

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद, आप सक्षम होंगे—

- ◆ समझना कि “आय पर वापसी” क्या है;
- ◆ उन व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें अनिवार्य रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा;
- ◆ विभिन्न करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख की पहचान करना और उसे याद दिलाना;
- ◆ रिटर्न देर से दाखिल करने के परिणामों की जांच करना;
- ◆ आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए देय ब्याज की गणना करना;
- ◆ आयकर रिटर्न देरी से दाखिल करने पर देय शुल्क की गणना करना;
- ◆ आय का रिटर्न कब संशोधित किया जा सकता है और रिटर्न को संशोधित करने की समय सीमा क्या है, इसकी सराहना करना;
- ◆ आय का अद्यतन रिटर्न कब दाखिल किया जा सकता है, इसकी सराहना करना ;
- ◆ अद्यतन रिटर्न के आधार पर देय कर की गणना के तरीके की सराहना करना;
- ◆ उन व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन करना आवश्यक है;

- ◆ उन लेन-देन की पहचान करना जिनके संबंध में PAN का उल्लेख करना अनिवार्य है;
- ◆ उन निर्दिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को पहचानना जो कर रिटर्न तैयारकर्ता के माध्यम से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं;
- ◆ विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न करदाताओं के मामले में आयकर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों की पहचान करना;
- ◆ आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करने की आवश्यकता को समझना;
- ◆ आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करने की आवश्यकता को समझना ;

अध्याय अवलोकन



रिटर्न दाखिल करना

आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य [धारा 139(1)]

हानि की वापसी [धारा 139(3)]

विलंबित रिटर्न [धारा 139(4)]

संशोधित रिटर्न [धारा 139(5)]

अद्यतन रिटर्न [धारा 139(8A)]

आय विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज और शुल्क

आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज [धारा 234A]

आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क [धारा 234F]

अन्य प्रावधान

स्थायी खाता संख्या [धारा 139A]

आधार संख्या उद्धृत करना [धारा 139AA]

आधार संख्या की सूचना न देने पर शुल्क [धारा 234H]

कर रिटर्न तैयारकर्ताओं के माध्यम से रिटर्न प्रस्तुत करना [धारा 139B]

आयकर रिटर्न सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति [धारा 140]

स्व-मूल्यांकन [धारा 140A]

अद्यतन रिटर्न पर कर [धारा 140B]

1. आय की वापसी

आयकर अधिनियम, 1961 में आयकर रिटर्न दाखिल करने के प्रावधान हैं। आयकर रिटर्न वह प्रारूप है जिसमें करदाता अपनी कुल आय और देय कर के बारे में स्व-घोषणा के रूप में जानकारी प्रस्तुत करता है। विभिन्न करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने का प्रारूप CBDT द्वारा अधिसूचित किया जाता है। विभिन्न मदों के अंतर्गत अर्जित आय, सकल कुल आय, सकल कुल आय में से कटौतियाँ, कुल आय और करदाता द्वारा देय कर का विवरण सामान्यतः आयकर रिटर्न में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। संक्षेप में, आयकर रिटर्न, करदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय और परिणामी कर की घोषणा है।


2. आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य [धारा 139(1)]

- (1) धारा 139(1) के अनुसार, कंपनियों और फर्मों के लिए प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए आय या हानि का विवरण निर्धारित प्रपत्र में नियत तिथि को या उससे पहले दाखिल करना अनिवार्य है।
- (2) कंपनी या फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, नियत तिथि को या उससे पहले आय का विवरण दाखिल करना अनिवार्य है, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत कर योग्य है, मूल छूट सीमा से अधिक है।
- (3) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6(6) के अर्थ के अंतर्गत भारत में सामान्यतः निवासी नहीं है, के अलावा कोई निवासी है, जिसे धारा 139(1) के तहत विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, उसे पिछले वर्ष के लिए निर्धारित प्रपत्र में आय या हानि का विवरण दाखिल करना होगा और नियत तिथि को या उससे पहले निर्धारित तरीके से सत्यापित करना होगा, यदि ऐसा व्यक्ति, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, -
 - (a) भारत के बाहर स्थित किसी परिसंपत्ति (किसी भी इकाई में किसी भी वित्तीय हित सहित) को लाभार्थी स्वामी के रूप में या अन्यथा धारण करता है या भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकारी रखता है; या
 - (b) भारत के बाहर स्थित किसी भी परिसंपत्ति (किसी भी इकाई में किसी भी वित्तीय हित सहित) का लाभार्थी है।


तथापि, भारत के बाहर स्थित किसी परिसंपत्ति (किसी इकाई में किसी वित्तीय हित सहित) के लाभार्थी होने के नाते किसी व्यक्ति को इस खंड के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल करने की

आवश्यकता नहीं होगी, जहां ऐसी परिसंपत्ति से उत्पन्न होने वाली आय, यदि कोई हो, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ऊपर (A) में निर्दिष्ट व्यक्ति की आय में शामिल है।

धारा 139 के प्रयोजन के लिए किसी परिसंपत्ति के संबंध में “लाभार्थी स्वामी” और “लाभार्थी” का अर्थ:



धारा 139(1) के चौथे और पांचवें प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता



(4) इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह एक व्यक्ति हो या एक HUF या AOP/BOI, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हो -

- जिसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है
- अध्याय VI-A या धारा 54/54B/54D/54EC/54F¹ के प्रावधानों को लागू किए बिना
- मूल छूट सीमा से अधिक हो गई

उसे अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का विवरण निर्धारित प्रपत्र और तरीके से तथा निर्धारित विवरण देते हुए नियत तिथि को या उससे पहले दाखिल करना होगा।

धारा 115BAC के अंतर्गत डिफॉल्ट कर व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों/HUF/AOPs/BOIs और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों के लिए मूल छूट सीमा ₹ 4,00,000 है। यह राशि कुल आय के स्तर को दर्शाती है, जो डिफॉल्ट कर व्यवस्था के अंतर्गत अध्याय VI-A अर्थात् 80CCD(2), 80CCH(2) और 80JJAA के अंतर्गत स्वीकार्य कटौतियों और पूंजीगत लाभ के संबंध में धारा 54/54B/54D/54EC या 54F के अंतर्गत छूट का दावा करने के बाद प्राप्त होती है। हालाँकि, आयकर रिटर्न दाखिल करने के उद्देश्य से विचार की जाने वाली कुल आय का स्तर अध्याय VI-A के अंतर्गत स्वीकार्य कटौतियों और धारा 54/54B/54D/54EC या 54F के अंतर्गत छूट का दावा करने से पहले की आय है।

हालाँकि, यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, तो मूल छूट सीमा व्यक्तियों/एचयूएफ/एओपी/बीओआई और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों के लिए ₹2,50,000, 60 वर्ष लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्तियों के लिए ₹3,00,000 और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्तियों के लिए ₹5,00,000 होगी। इसके अलावा, करदाता निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन अध्याय VI-A के अंतर्गत अन्य कटौतियों के लिए भी पात्र होगा।

(5) कंपनी या फर्म के अलावा कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 139(1) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, को निर्धारित तिथि को या उससे पहले निर्धारित फॉर्म और तरीके से आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, यदि पिछले वर्ष के दौरान, ऐसा व्यक्ति -

¹या 54G या 54GA. (इन अनुभागों पर अंतिम स्तर पर विस्तार से चर्चा की जाएगी)

- (a) किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में रखे गए एक या अधिक चालू खातों में ₹ 1 करोड़ से अधिक की राशि या कुल राशि जमा की है; या
- (b) स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर ₹ 2 लाख से अधिक की राशि या कुल राशि व्यय की है; या
- (c) बिजली की खपत पर ₹ 1 लाख से अधिक की राशि या कुल राशि व्यय की है; या
- (d) ऐसी अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

तदनुसार, CBDT ने अधिसूचना संख्या 37/2022 दिनांक 21.4.2022 के माध्यम से नियम 12AB को शामिल किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि कंपनी या फर्म के अलावा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 139(1) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, और जो पिछले वर्ष के दौरान निम्नलिखित शर्तों में से किसी को पूरा करता है, उसे निर्धारित प्रपत्र और तरीके से नियत तारीख को या उससे पहले अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करनी होगी -

- (i) यदि व्यवसाय में उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियाँ, जैसा भी मामला हो, पिछले वर्ष के दौरान ₹ 60 लाख से अधिक है; या
- (ii) यदि व्यवसाय में उसकी कुल सकल प्राप्तियाँ पिछले वर्ष के दौरान ₹ 10 लाख से अधिक हैं; या
- (iii) यदि व्यक्ति के मामले में, पिछले वर्ष के दौरान टीडीएस और टीसीएस का कुल योग ₹ 25,000 या उससे अधिक है; या

तथापि, किसी निवासी व्यक्ति को, जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, केवल तभी आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा, जब उसके मामले में पिछले वर्ष के दौरान TDS और TCS का कुल योग ₹ 50,000 या उससे अधिक हो।

- (iv) व्यक्ति के एक या अधिक बचत बैंक खाते में कुल जमा राशि पिछले वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये या उससे अधिक है।
- (6) उपरोक्त (1) से (5) में उल्लिखित सभी व्यक्तियों को नियत तारीख को या उससे पहले, पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का विवरण निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से सत्यापित करके और ऐसे अन्य विवरण देते हुए प्रस्तुत करना चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

नियत तिथि का अर्थ:

‘देय तिथि’ का अर्थ है -

- (i) निर्धारण वर्ष की **31 अक्टूबर** को, जहां निर्धारिती, नीचे (ii) में निर्दिष्ट निर्धारिती के अलावा, -
 - (a) कोई कंपनी,
 - (b) कोई व्यक्ति (कंपनी के अलावा) जिसके खातों का आयकर अधिनियम, 1961 या किसी अन्य समय लागू कानून के तहत ऑडिट किया जाना आवश्यक है; या
 - (c) किसी फर्म का भागीदार जिसके खातों का आयकर अधिनियम, 1961 या किसी अन्य समय लागू कानून के तहत ऑडिट किया जाना आवश्यक है².
- (ii) कर निर्धारण वर्ष की **30 नवम्बर** तक, ऐसे करदाता के मामले में जिसके अंतर्गत फर्म के भागीदार भी हैं, जो ऐसा करदाता है जिसे धारा 92ड में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- (iii) किसी अन्य करदाता के मामले में, कर निर्धारण वर्ष की **31 जुलाई**।

नोट – धारा 92E इंटरमीडिएट पेपर 4A: आयकर कानून के पाठ्यक्रम के दायरे में शामिल नहीं है। धारा 139(1) उन करदाताओं के लिए, जिन्हें धारा 92E के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट यानी लेखाकार की रिपोर्ट दाखिल करनी है (अर्थात् ऐसे करदाता जिन्होंने संबद्ध उद्यमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किए हैं) एक विस्तारित नियत तिथि, यानी आकलन वर्ष की 30 नवंबर, प्रदान करती है। इसलिए, धारा 139(1) में इस प्रावधान की व्याख्या के लिए इस धारा, यानी धारा 92E का संदर्भ दिया गया है।

चित्रण 1

55 वर्षीय पारस भारत के निवासी हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, SBI में उनके अनिवासी (बाह्य) खाते में ₹2,88,000 का ब्याज जमा हुआ। इस अवधि के दौरान, SBI में सावधि जमा पर ₹30,000 का ब्याज उनके बचत बैंक खाते में जमा हुआ। उन्होंने इस बचत खाते पर ₹3,000 का ब्याज भी अर्जित किया। क्या पारस को आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है?

यदि उन्होंने अपनी विवाहित बेटी के साथ कुछ समय तक रहने के लिए अमेरिका में स्वयं और अपने जीवनसाथी के यात्रा व्यय के रूप में 3 लाख रुपये खर्च किए हों, तो आपका उत्तर क्या होगा?

² या ऐसे साझेदार के पति या पत्नी, यदि धारा 5ए के प्रावधान ऐसे पति या पत्नी पर लागू होते हैं

समाधान

किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है यदि उसकी कुल आय, अध्याय VI-A के तहत कटौती या धारा 54/54B/54D/54EC या 54F के तहत छूट को प्रभावी करने से पहले, कर के लिए प्रभार्य नहीं होने वाली अधिकतम राशि से अधिक है यानी धारा 115BAC(1A) के तहत डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत ₹ 4,00,000 और धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनने पर ₹ 2,50,000 (निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए)।

श्री पारस की निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कुल आय की गणना

विवरण	₹
अन्य स्रोतों से आय	
अनिवासी (बाह्य) खाते से अर्जित ब्याज ₹ 2,88,000 [धारा 10(4)(ii) के अंतर्गत छूट, यह मानते हुए कि श्री पारस को RBI द्वारा उपरोक्त खाता बनाए रखने की अनुमति दी गई है]	शून्य
SBI में सावधि जमा पर ब्याज	30,000
बचत बैंक खाते पर ब्याज	3,000
सकल कुल आय	33,000
घटाएँ: अध्याय VI-A के अंतर्गत कटौती (धारा 115BAC के अंतर्गत डिफॉल्ट कर व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध नहीं)	-
कुल आय	33,000

यदि वह धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है, तो वह धारा 80TTA के अंतर्गत ₹3,000 की कटौती का पात्र होगा। तदनुसार, उसकी कुल आय ₹30,000 होगी। हालाँकि, दोनों व्यवस्थाओं में, अध्याय VI-A के अंतर्गत कटौती लागू करने से पहले, ₹33,000 की कुल आय पर विचार किया जाएगा।

चूंकि श्री पारस की कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कुल आय, अध्याय VI-A के तहत कटौती को प्रभावी करने से पहले, दोनों व्यवस्थाओं में मूल छूट सीमा से कम है, इसलिए उन्हें कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट: उपरोक्त समाधान में, अनिवासी (बाह्य) खाते से अर्जित ₹ 2,88,000 के ब्याज को इस धारणा पर छूट के रूप में लिया गया है कि श्री पारस, एक निवासी, को RBI द्वारा उपरोक्त खाता बनाए रखने की अनुमति दी गई है। हालाँकि, यदि उन्हें ऐसी अनुमति नहीं दी गई है, तो उक्त ब्याज कर योग्य होगा। ऐसे मामले में, अध्याय VI-A के तहत कटौती को प्रभावी करने से पहले, उनकी कुल आय ₹ 3,21,000 (₹ 30,000 + ₹ 2,88,000 + ₹ 3,000) होगी, जो कि डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प की

स्थिति में ₹ 2,50,000 की मूल छूट सीमा से अधिक है। परिणामस्वरूप, उन्हें निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। हालाँकि, यदि वह डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करता है, तो उसे निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मूल छूट सीमा धारा 115BAC के तहत ₹ 4,00,000 है।

यदि उसने स्वयं और पति/पत्नी की विदेश यात्रा पर ₹ 3 लाख का व्यय किया है, तो उसे धारा 139(1) के अंतर्गत नियत तिथि तक या उससे पहले अनिवार्य रूप से अपनी आयकर विवरणी दाखिल करनी होगी, भले ही उसकी आय मूल छूट सीमा से कम हो।

3. आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट पाने वाले व्यक्तियों का निर्दिष्ट वर्ग या वर्ग [धारा 139(1C)]

- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 139 के तहत उल्लिखित शर्तों के दायरे में आता है, उसे धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले अपनी आय का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- (2) छोटे करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, केंद्र सरकार को उन व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है, जिन्हें निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

4. हानि की वापसी [धारा 139(3)]

- (1) इस धारा के अनुसार करदाता को धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न की तरह ही हानि का रिटर्न दाखिल करना होगा।
- (2) धारा 80 के अनुसार निम्नलिखित हानियों को आगे ले जाने के लिए धारा 139(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले धारा 139(3) के अंतर्गत हानि का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है-
 - (a) धारा 72(1) के अंतर्गत व्यावसायिक हानि
 - (b) धारा 73(2) के अंतर्गत सट्टा व्यवसाय हानि
 - (c) धारा 73A(2) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि [यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है]
 - (d) धारा 74(1) के अंतर्गत "पूँजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत हानि

- (e) धारा 74A(3) के तहत रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली हानि
- (3) परिणामस्वरूप, धारा 139(3) के अनुसार, उपरोक्त (2) में उल्लिखित हानियों को आगे ले जाने का दावा करने के लिए धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर हानि विवरणी अनिवार्य रूप से दाखिल करना आवश्यक है।
- (4) तथापि, धारा 71B के अंतर्गत "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि और धारा 32 के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यहास को समायोजनके लिए आगे ले जाया जा सकता है, भले ही हानि विवरणी नियत तिथि से पहले दाखिल न की गई हो।
- (5) हानि विवरणी करदाता द्वारा अपने हित में दाखिल की जानी चाहिए और कर निर्धारण अधिकारी से उसे विवरणी दाखिल करने हेतु आवश्यक नोटिस प्राप्त न होना, किसी भी परिस्थिति में ऐसे विवरणी को दाखिल न करने का वैध बहाना नहीं हो सकता।

5. विलंबित रिटर्न [धारा 139(4)]

कोई भी व्यक्ति जिसने धारा 139(1) के अंतर्गत उसे दिए गए समय के भीतर रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है, वह किसी भी समय किसी भी पिछले वर्ष के लिए रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है -

- (i) प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले (अर्थात्, पिछले वर्ष 2025-26 के लिए 31.12.2026); या
- (ii) निर्धारण पूरा होने से पहले,
जो भी पहले हो।

इसलिए, संबंधित कर निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर के बाद विलंबित रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता।

6. संशोधित रिटर्न [धारा 139(5)]

यदि कोई व्यक्ति धारा 139(1) के तहत रिटर्न या धारा 139(4) के तहत विलम्बित रिटर्न प्रस्तुत करता है, और उसमें कोई चूक या कोई गलत विवरण पाता है, तो वह किसी भी समय संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है -

- (i) प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले (अर्थात्, पिछले वर्ष 2025-26 के लिए 31.12.2026); या
- (ii) मूल्यांकन पूरा होने से पहले,
जो भी पहले हो।

इसलिए, संबंधित कर निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर के बाद विलंबित रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता।

QUICK RECAP

Mandatory filing of return of income [Section 139(1)]

	Person being Resident other than RNOR, having any asset located outside India or signing authority in any account located outside India or is beneficiary of any asset located outside India	Individual, HUF, AOPs or BOIs and artificial juridical persons having total income exceeding basic exemption limit before giving effect to the provisions of Chapter VI-A or exemption u/s 54/54B/54D/54EC or 54F	Person who during the P.Y. - - has deposited > ₹ 1 crore in one or more current accounts with bank or a co-operative bank; or - has incurred exp. of > ₹ 2 lakh for himself or any other person for travel to a foreign country; or - has incurred exp of > ₹ 1 lakh towards electricity consumption;	Persons who during the P.Y. - - has total sales, turnover or gross receipts in the business > ₹ 60 lakhs - has total gross receipts in profession > ₹ 10 lakhs - has aggregate TDS and TCS credit ≥ ₹ 25,000 (₹ 50,000 in case of senior citizen) - has deposit in one or more savings bank account ≥ ₹ 50 lakhs
Company and Firm				

Due date of filing of return

30th November of A.Y. • assessee, including partner of the firm, being such assessee who is required to furnish a report referred to in section 92E.	31st October of A.Y. • Company • Person other than company, whose accounts are required to be audited • A partner of a firm, whose accounts are required to be audited	31 st July of A.Y. • Any other assessee
---	---	---

Loss Return under section 139(3)

To be filed on or before the due date under section 139(1) for carry forward Of

Business loss u/s 72(1)	Loss from speculation business u/s 73(2)	Loss from specified business u/s 73A(2)	Loss under the head "Capital Gains" u/s 74(1)	Loss from the activity of owning and maintaining race horses u/s 74A(3)
-------------------------	--	---	---	---

Belated Return under section 139(4)

If return not filed within the time specified u/s 139(1), the assessee can file belated return u/s 139(4), at any time before

Three months prior to the end of the Relevant Assessment Year **OR** Completion of the Assessment

Whichever is earlier

Revised Return under Section 139(5)

Return filed u/s 139(1) or u/s 139(4) can be revised u/s 139(5), if any omission or any wrong statement is discovered by the assessee, at any time before

Three months prior to the end of the Relevant Assessment Year **OR** Completion of the Assessment

Whichever is earlier

चित्रण 2

संक्षिप्त कारणों सहित स्पष्ट करें कि क्या निम्नलिखित मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के अंतर्गत आयकर विवरणी को संशोधित किया जा सकता है:

- (i) धारा 139(4) के अंतर्गत विलम्बित रिटर्न दाखिल किया गया।
- (ii) धारा 139(5) के अंतर्गत एक बार पहले ही संशोधित रिटर्न दाखिल किया गया।
- (iii) धारा 139(3) के अंतर्गत हानि का रिटर्न दाखिल किया गया।

समाधान

कोई भी व्यक्ति जिसने धारा 139(1) या 139(4) के अंतर्गत रिटर्न दाखिल किया है, वह संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले या कर निर्धारण पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकता है, यदि उसे पहले दाखिल रिटर्न में कोई चूक या कोई गलत विवरण मिलता है। तदनुसार,

- (i) धारा 139(4) के अंतर्गत विलंबित रिटर्न को संशोधित किया जा सकता है।
- (ii) पहले संशोधित रिटर्न को पुनः संशोधित किया जा सकता है क्योंकि पहला संशोधित रिटर्न मूल रिटर्न का स्थान ले लेता है। इसलिए, यदि करदाता को ऐसे संशोधित रिटर्न में कोई चूक या गलत विवरण मिलता है, तो वह निर्धारित समय के भीतर, अर्थात् संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले या कर निर्धारण पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय दूसरा संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आय का रिटर्न निर्धारित समय के भीतर एक से अधिक बार संशोधित किया जा सकता है।
- (iii) धारा 139(3) के अंतर्गत दाखिल हानि का रिटर्न धारा 139(1) के अंतर्गत दाखिल रिटर्न माना जाएगा, और इसलिए, इसे धारा 139(5) के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है।



7. आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज [धारा 234A]

- (1) धारा 139(1) के तहत नियत तारीख को या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफलता के लिए धारा 234A के तहत ब्याज लगाया जाता है, यानी ब्याज देय होता है, जहां कोई करदाता नियत तारीख के बाद आयकर रिटर्न प्रस्तुत करता है या आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है।

- (2) देय तिथि के तुरंत बाद की तारीख से शुरू होने वाली और निम्नलिखित तारीखों को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 1% प्रति माह या महीने के हिस्से पर साधारण ब्याज देय होगा -

परिस्थितियाँ	निम्नलिखित तिथियों पर समाप्त हो रहा है
जहां रिटर्न नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किया जाता है	रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि
जहां कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जाता है	मूल्यांकन पूरा होने की तिथि

- (3) ब्याज की गणना धारा 143(1) के तहत निर्धारित कुल आय पर कर की राशि पर की जानी है और जहां नियमित मूल्यांकन किया जाता है, वहां नियमित मूल्यांकन के तहत निर्धारित कुल आय पर कर की राशि पर, जैसा कि अग्रिम कर +का भुगतान और स्रोत पर कटौती या संग्रह किया गया कर, धारा 89 के तहत कर की किसी भी राहत और धारा 115JD के अनुसार समायोजन करने की अनुमति वाले किसी भी कर क्रेडिट को कम किया जाता है, यदि करदाता ने धारा 115 BAC (1 A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।
- (4) रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि को या उससे पहले करदाता द्वारा भुगतान किए गए स्व-मूल्यांकन कर पर धारा 234ए के तहत कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
- (5) धारा 234ए के तहत देय ब्याज में से धारा 140A के तहत स्व-मूल्यांकन पर धारा 234ए के तहत देय ब्याज के लिए भुगतान किया गया ब्याज, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा।
- (6) धारा 143(1) के तहत निर्धारित कुल आय पर कर में धारा 140B या धारा 143 के तहत देय अतिरिक्त आयकर, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा।
- (7) नियमित मूल्यांकन के तहत निर्धारित कुल आय पर कर में धारा 140B के तहत देय अतिरिक्त आयकर शामिल नहीं होगा।

नोट – धारा 143(1) में प्रावधान है कि यदि अग्रिम कर, धारा 89 के अंतर्गत कर छूट, स्रोत पर कर कटौती, स्रोत पर कर संग्रहण और स्व-मूल्यांकन कर के समायोजन के बाद आयकर रिटर्न के आधार पर कोई राशि देय पाई जाती है, तो करदाता को एक सूचना भेजी जाएगी और ऐसी सूचना को धारा 156 के अंतर्गत जारी माँग सूचना माना जाएगा। यदि रिटर्न के आधार पर कोई धनवापसी देय है, तो वह करदाता को प्रदान की जाएगी और इस आशय की सूचना करदाता को भेजी जाएगी। जहाँ कोई कर या धनवापसी देय नहीं है, वहाँ रिटर्न की पावती को धारा 156 के अंतर्गत सूचना माना जाएगा।

8. स्व-मूल्यांकन [धारा 140A]

(1) आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले कर, ब्याज और शुल्क का भुगतान [धारा 140A(1)]

जहां धारा 139 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किए जाने वाले किसी रिटर्न के आधार पर कोई कर देय है, वहां निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए -

- (i) आयकर अधिनियम, 1961 के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत पहले से चुकाई गई कर राशि
- (ii) स्रोत पर काटा या संग्रहित कर
- (iii) धारा 89 के अंतर्गत दावा किया गया कोई भी कर राहत
- (iv) धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार समायोजनके लिए दावा किया गया कोई भी कर क्रेडिट, यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है; और
- (v) धारा 191(2) के प्रावधानों के अनुसार देय कोई भी कर या ब्याज,

करदाता, रिटर्न प्रस्तुत करने में किसी भी देरी या रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले अग्रिम कर के भुगतान में किसी भी चूक या देरी के लिए इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत देय ब्याज और शुल्क सहित ऐसे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। रिटर्न के साथ ऐसे कर, ब्याज और शुल्क के भुगतान का प्रमाण संलग्न करना होगा।

(2) करदाता द्वारा भुगतान की गई राशि के समायोजन का आदेश

जहां धारा 140A(1) के तहत करदाता द्वारा भुगतान की गई राशि पूर्वोक्त कर, ब्याज और शुल्क के कुल योग से कम हो जाती है, वहां भुगतान की गई राशि को पहले देय शुल्क के लिए समायोजित किया जाएगा और उसके बाद ब्याज के लिए और शेष, यदि कोई हो, को देय कर के लिए समायोजित किया जाएगा।

(3) धारा 234A के तहत ब्याज [धारा 140A(1A)]

उपरोक्त प्रयोजन के लिए, धारा 234A के अंतर्गत देय ब्याज की गणना रिटर्न में घोषित कुल आय पर कर की राशि से की जाएगी, जिसमें से निम्नलिखित राशि घटाई जाएगी-

- (i) अग्रिम भुगतान किया गया कर, यदि कोई हो;
- (ii) स्रोत पर काटा गया या संग्रहित किया गया कोई कर;
- (iii) धारा 89 के अंतर्गत दावा किया गया कोई कर-राहत

(iv) धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार समायोजनकिए जाने का दावा किया गया कोई भी कर क्रेडिट, यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

(4) धारा 234B के तहत ब्याज [धारा 140A(1B)]

धारा 234B के अंतर्गत देय ब्याज की गणना निर्धारित कर पर या उस राशि पर की जाएगी जो भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर से कम है।

इस प्रयोजन के लिए "मूल्यांकित कर" का अर्थ है रिटर्न में घोषित कुल आय पर कर, जिसमें से निम्नलिखित राशि घटा दी गई है:

- कुल आय का हिस्सा बनने वाली किसी भी आय पर स्रोत पर काटा गया या संग्रहित कर;
- धारा 89 के अंतर्गत दावा किया गया कोई भी कर राहत
- धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार समायोजनकरने का दावा किया गया कोई भी कर क्रेडिट, यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

(5) कर, ब्याज या शुल्क का भुगतान करने में विफलता का परिणाम [धारा 140A(3)]

यदि कोई करदाता ऐसे कर या ब्याज या फीस का पूरा या उसका कोई भाग संदत्त करने में असफल रहता है, तो उसे ऐसे कर या ब्याज या फीस के संबंध में चूककर्ता करदाता माना जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

9. आय का अद्यतन विवरण [धारा 139(8A)]

- (1) अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत करने का विकल्प --** कोई भी व्यक्ति, कर निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के लिए अपनी आय या किसी अन्य व्यक्ति की आय, जिसके संबंध में वह कर निर्धारण योग्य है, का अद्यतन विवरण, संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से **48 माह** के भीतर किसी भी समय प्रस्तुत कर सकता है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उस कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139(1) के तहत रिटर्न प्रस्तुत किया है या नहीं, धारा 139(4) के तहत विलम्बित रिटर्न प्रस्तुत किया है या नहीं, या धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न प्रस्तुत किया है या नहीं।

उदाहरण के लिए, निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए अद्यतन रिटर्न 31.3.2030 तक दाखिल किया जा सकता है।

(2) अद्यतन रिटर्न के प्रावधानों की गैर-लागूता – अद्यतन रिटर्न के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यदि उस व्यक्ति का उस कर निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न -

- (i) हानि रिटर्न है; या
- (ii) धारा 139(1) या धारा 139(4) या धारा 139(5) के तहत प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर निर्धारित कुल कर देयता को कम करने का प्रभाव है; या
- (iii) धारा 139(1) या धारा 139(4) या धारा 139(5) के तहत प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर रिफंड या देय रिफंड में वृद्धि होती है।

(3) यदि मूल रिटर्न हानि रिटर्न है और अद्यतन रिटर्न आय रिटर्न है तो अद्यतन रिटर्न दाखिल किया जा सकता है - यदि किसी व्यक्ति को किसी पिछले वर्ष में हानि हुई है और उसने धारा 139(1) के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि को या उससे पहले हानि का रिटर्न प्रस्तुत किया है, तो उसे अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी, यदि ऐसा अद्यतन रिटर्न आयकर रिटर्न है।

उदाहरण के लिए, यदि श्री एक्स ने 31.5.2025 को कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए अपनी हानि का रिटर्न प्रस्तुत किया है, जिसमें ₹ 5,00,000 का व्यवसायिक नुकसान शामिल है, तो वह कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए 31.3.2030 तक अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है, यदि ऐसा अद्यतन रिटर्न आय का रिटर्न है।

(4) उपरोक्त मामले (3) में आगामी पिछले वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत किया जाना है - यदि अध्याय VI के तहत आगे ले जाई गई हानि या उसका कोई भाग या धारा 32(2) के तहत आगे ले जाई गई अनवशोषित मूल्यह्रास या धारा 115JD के तहत आगे ले जाई गई कर क्रेडिट को पिछले वर्ष के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप किसी भी बाद के पिछले वर्ष के लिए कम किया जाना है, तो प्रत्येक ऐसे बाद के पिछले वर्ष के लिए एक अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है [यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है]।

- (5) वे परिस्थितियाँ जिनमें अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जा सकता: निम्नलिखित परिदृश्यों में कोई अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जाएगा –

क्र. सं.	परिदृश्य	अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जा सकता
(i)	जहां किसी व्यक्ति ने प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत किया है।	ऐसे प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए।
(ii)	जहां उसके मामले में प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय के निर्धारण, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना या संशोधन के लिए कोई कार्यवाही लंबित है या पूरी हो चुकी है।	

- (6) प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है या ऐसे व्यक्तियों के वर्ग से संबंधित नहीं है, जिन्हें इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

नोट - ऐसी अन्य परिस्थितियाँ भी हैं जिनमें संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, जहाँ आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाही शुरू की गई हो।



10. अद्यतन रिटर्न पर कर [धारा 140B]

- (1) अद्यतन आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले कर, अतिरिक्त कर, ब्याज और शुल्क का भुगतान

- (a) ऐसे मामले में जहाँ पहले कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है [धारा 140B(1)]

- (i) अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले ब्याज और शुल्क सहित कर का भुगतान किया जाना है:

जहाँ धारा 139(1) या 139(4) के तहत किसी करदाता द्वारा आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है और कर देय है, ऐसे करदाता द्वारा धारा 139(8ए) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले अद्यतन रिटर्न के आधार पर, करदाता रिटर्न प्रस्तुत करने में किसी भी देरी या अग्रिम कर के भुगतान में किसी भी चूक या देरी के लिए इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत देय ब्याज और शुल्क के साथ-साथ रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले धारा 140B(3) के तहत गणना किए गए अतिरिक्त कर के भुगतान के साथ ऐसे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अद्यतन रिटर्न के साथ ऐसे कर, अतिरिक्त आयकर, ब्याज और शुल्क के भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।

(II) अद्यतन रिटर्न के आधार पर देय कर की गणना का तरीका

देय कर की गणना निम्नलिखित को ध्यान में रखकर की जाएगी -

- (i) अग्रिम कर के रूप में पहले से भुगतान की गई कर राशि, यदि कोई हो;
- (ii) स्रोत पर काटा गया या संग्रहित कर;
- (iii) धारा 89 के अंतर्गत दावा किया गया कोई कर राहत; और
- (iv) धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार समायोजनके लिए दावा किया गया कोई कर क्रेडिट, यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

(III) धारा 234A के तहत ब्याज यदि पहले कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है

ऐसे मामले में, जहां पहले कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है, धारा 234A के तहत देय ब्याज की गणना धारा 140A(1A) के प्रावधानों के अनुसार धारा 139(8A) के तहत अद्यतन रिटर्न में घोषित कुल आय पर कर की राशि पर की जानी है।

(b) ऐसे मामले में जहां रिटर्न पहले प्रस्तुत किया गया है [धारा 140B(2)]

(I) अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले ब्याज सहित कर का भुगतान किया जाना है:

जहां, धारा 139(1) या 139(4) या 139(5) के तहत आयकर रिटर्न किसी करदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया है और कर देय है, ऐसे करदाता द्वारा धारा 139(8A) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले अद्यतन रिटर्न के आधार पर, करदाता अग्रिम कर के भुगतान में किसी भी चूक या देरी के लिए इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत देय ब्याज के साथ ऐसे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, साथ ही रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले धारा 140B(3) के तहत गणना किए गए अतिरिक्त कर का भुगतान (जैसा कि पहले रिटर्न में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भुगतान किए गए ब्याज की राशि से कम हो)

अद्यतन रिटर्न के साथ ऐसे कर, अतिरिक्त आयकर और ब्याज के भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।

(II) अद्यतन रिटर्न के आधार पर देय कर की गणना का तरीका:

देय कर की गणना निम्नलिखित को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए -

- (i) धारा 140A(1) में निर्दिष्ट राहत या कर की रकम, जिसका क्रेडिट पूर्ववर्ती रिटर्न में लिया गया है;
- (ii) अध्याय XVII-B के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी आय पर स्रोत पर कटौती या संग्रह किया गया कर, जो ऐसी कटौती या संग्रह के अधीन है और जिसे कुल आय की गणना में ध्यान में रखा जाता है और जिसे पहले रिटर्न में शामिल नहीं किया गया है;
- (iii) धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार समायोजनकरने के लिए दावा किया गया कोई भी कर क्रेडिट, जिसका दावा पहले रिटर्न में नहीं किया गया है, यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है; और

उपर्युक्त कर में, ऐसे पूर्व रिटर्न के संबंध में जारी किए गए रिफंड की राशि, यदि कोई हो, से वृद्धि की जाएगी।

(III) धारा 234B के तहत ब्याज जहां पहले रिटर्न प्रस्तुत किया गया है [धारा 140B(4)]

ऐसे मामले में जहां पहले रिटर्न प्रस्तुत किया गया है, धारा 234B के तहत देय ब्याज की गणना निर्धारित कर पर की जानी है।

"मूल्यांकित कर" का अर्थ धारा 139(8A) के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले अद्यतन रिटर्न में घोषित कुल आय पर कर है, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाता है:

- (i) धारा 140A(1) में निर्दिष्ट राहत या कर की राशि, जिसका क्रेडिट पूर्ववर्ती रिटर्न में लिया गया है, यदि कोई हो;
- (ii) अध्याय XVII-B के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी आय पर स्रोत पर कटौती या संग्रह किया गया कर, जो ऐसी कटौती या संग्रह के अधीन है और जिसे कुल आय की गणना में ध्यान में रखा जाता है और जिसे पहले रिटर्न में शामिल नहीं किया गया है;

(iii) धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार समायोजन करने के लिए दावा किया गया कोई भी कर क्रेडिट, जिसका दावा पहले रिटर्न में नहीं किया गया है, यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है; और

उपर्युक्त कर में, ऐसे पूर्व रिटर्न के संबंध में जारी किए गए रिफंड की राशि, यदि कोई हो, से वृद्धि की जाएगी।

(IV) यदि पहले रिटर्न प्रस्तुत किया गया है तो धारा 234C के तहत ब्याज

धारा 234C के तहत देय ब्याज, जहां पहले रिटर्न प्रस्तुत किया गया है, की गणना अद्यतन रिटर्न में प्रस्तुत कुल आय को रिटर्न की गई आय के रूप में ध्यान में रखने के बाद की जानी चाहिए।

(2) अद्यतन रिटर्न के समय देय अतिरिक्त आयकर [धारा 140B(3)]

धारा 139(8A) के अंतर्गत अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत करते समय देय अतिरिक्त आयकर होगा -

क्र. सं.	अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत करने का समय	अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत करने का समय
(i)	यदि ऐसा रिटर्न निर्धारण वर्ष की धारा 139(4) या 139(5) के तहत उपलब्ध समय की समाप्ति के बाद और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 12 महीने की अवधि पूरी होने से पहले प्रस्तुत किया जाता है;	देय कर और ब्याज के कुल योग का 25% , जैसा कि ऊपर (1) में निर्धारित किया गया है
(ii)	यदि ऐसा रिटर्न प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 12 महीने की समाप्ति के बाद लेकिन प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 महीने की अवधि पूरी होने से पहले प्रस्तुत किया जाता है।	देय कर और ब्याज के कुल योग का 50% , जैसा कि ऊपर (1) में निर्धारित किया गया है
(iii)	यदि ऐसा रिटर्न प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 महीने की समाप्ति के बाद लेकिन प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 36 महीने की अवधि पूरी होने से पहले प्रस्तुत किया जाता है।	देय कर और ब्याज के कुल योग का 60% , जैसा कि ऊपर (1) में निर्धारित किया गया है

(iv)	यदि ऐसा रिटर्न प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 36 महीने की समाप्ति के बाद लेकिन प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 48 महीने की अवधि पूरी होने से पहले प्रस्तुत किया जाता है।	देय कर और ब्याज के कुल योग का 70%, जैसा कि ऊपर (1) में निर्धारित किया गया है।
------	---	---

अतिरिक्त आयकर की गणना

“अतिरिक्त आयकर” की गणना के प्रयोजन के लिए,

- कर में ऐसे कर पर अधिभार और उपकर, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, शामिल होगा।
- देय ब्याज, अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत धारा 139(8ए) के अंतर्गत प्रस्तुत अद्यतन रिटर्न के अनुसार आय पर देय ब्याज होगा, जिसमें से पूर्व रिटर्न में दिए गए ब्याज, यदि कोई हो, को घटाकर प्राप्त किया जाएगा।

हालाँकि, यदि पहले कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है तो पहले रिटर्न में दिया गया ब्याज शून्य माना जाएगा।

नोट- धारा 139(8A) के तहत प्रस्तुत अद्यतन रिटर्न को धारा 139(9) के तहत संदर्भित दोषपूर्ण रिटर्न माना जाएगा, जब तक कि आयकर की ऐसी रिटर्न के साथ धारा 140B के तहत अपेक्षित कर के भुगतान का प्रमाण न हो।

(3) CBDT को दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति

यदि इस धारा के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो CBDT, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी कर सकता है। जारी किए गए प्रत्येक दिशानिर्देश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएँगे।

चित्रण 3

34 वर्षीय निवासी ऋषि ने निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं की। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए, उन्होंने 31.07.23 को अपनी आयकर विवरणी दाखिल की। उन्होंने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए धारा 139(8A) के तहत 30.04.25 को अद्यतन आयकर विवरणी दाखिल की। वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में निम्नलिखित जानकारी देते हैं-

विवरण	निर्धारण वर्ष 2020-21	निर्धारण वर्ष 2021-22	निर्धारण वर्ष 2022-23	निर्धारण वर्ष 2023-24	निर्धारण वर्ष 2024-25
धारा 139(1)/139(8A) के तहत घोषित आय	-	-	-	(₹3,50,000)	₹ 7,50,000

TDS/TCS /ब्याज/स्व-मूल्यांकन कर से पहले कुल आय पर कर देयता	₹ 14,50,000	₹ 5,60,000	₹ 6,30,000	-	-
TDS काटा गया	₹ 5,00,000	₹ 10,00,000	₹ 2,00,000	-	-
धारा 234A/B/C के तहत ब्याज	₹ 2,90,000	-	₹ 90,000	-	-
स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान	-	-	₹ 1,00,000	-	-

मई 2025 में, ऋषि को पता चला कि उनकी गृह संपत्ति को ₹2,00,000 का नुकसान हुआ है, जिसका दावा वह कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय करना भूल गए। इसके अलावा, कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में, उन्होंने A लिमिटेड और B लिमिटेड से क्रमशः ₹4,500 और ₹4,150 की लाभांश आय अर्जित की, जिसकी उन्होंने धारा 139(8A) के तहत अपनी आयकर रिटर्न में रिपोर्ट नहीं की है। वह अपने आयकर रिकॉर्ड को साफ़ करने के लिए धारा 139(8A) के तहत सभी कर निर्धारण वर्षों के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने हेतु 16.5.2025 को आपसे संपर्क करते हैं। आपको एक सुझाव तैयार करना होगा कि ऋषि किस कर निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और अद्यतन रिटर्न दाखिल करते समय कितना कर देय है।

समाधान

कर निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न, संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 48 महीनों के भीतर किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है।

तदनुसार, ऋषि को 16.5.2025 को कर निर्धारण वर्ष 2020-21, कर निर्धारण वर्ष 2021-22, कर निर्धारण वर्ष 2022-23, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अद्यतन रिटर्न और अद्यतन रिटर्न दाखिल करते समय देय कर के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

निर्धारण वर्ष 2020-21: चूंकि निर्धारण वर्ष 2020-21 के अंत से 48 महीने की अवधि 31.3.2025 को समाप्त हो गई है, इसलिए निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अद्यतन रिटर्न 16.5.2025 को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

निर्धारण वर्ष 2021-22: चूंकि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 की समाप्ति से 48 महीने की अवधि 31.3.2026 को समाप्त हो गई है, इसलिए कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अद्यतन रिटर्न 16.5.2025 को प्रस्तुत किया जा सकता है। हालाँकि, देय कर की राशि ₹5,60,000 है, जो ₹10,00,000 के TDS समायोजन से पहले की है। ऐसे मामले में, चूंकि ₹4,40,000 का रिफंड होगा, इसलिए कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

निर्धारण वर्ष 2022-23: चूँकि कर निर्धारण वर्ष 2022-23 की समाप्ति से 48 महीने की अवधि 31.3.2027 को समाप्त हो रही है, इसलिए कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए अद्यतन रिटर्न 16.5.2025 को प्रस्तुत किया जा सकता है। चूँकि अद्यतन रिटर्न संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 महीने की समाप्ति के बाद लेकिन संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 36 महीने की अवधि पूरी होने से पहले प्रस्तुत किया जाएगा, इसलिए कुल कर (स्रोत पर कर कटौती और स्व-मूल्यांकन कर भुगतान को ध्यान में रखते हुए) के 60% की दर से अतिरिक्त आयकर और धारा 234A/B/C के अंतर्गत देय ब्याज देय होगा। ऋषि को ₹ 2,52,000 का अतिरिक्त आयकर देना होगा, अर्थात् ₹ 4,20,000 का 60% [₹ 3,30,000 (₹ 6,30,000 - ₹ 2,00,000 - ₹ 1,00,000) + ₹ 90,000], इसके अतिरिक्त ₹ 3,30,000 का कर, ₹ 90,000 का ब्याज और ₹ 5,000 का विलम्ब शुल्क देना होगा।

निर्धारण वर्ष 2023-24: चूँकि निर्धारण वर्ष 2023-24 की समाप्ति से 48 महीने की अवधि 31.3.2028 को समाप्त हो गई है, इसलिए निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अद्यतन रिटर्न 16.5.2025 को प्रस्तुत किया जा सकता है। हालाँकि, ऋषि ने अपनी मूल आयकर रिटर्न में ₹3,50,000 की हानि घोषित की है और वह गृह संपत्ति से ₹2,00,000 की अतिरिक्त हानि का दावा करना चाहता है, जिसका दावा वह धारा 139(1) के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल करते समय करना भूल गया था। ऐसी स्थिति में, चूँकि उसकी हानि ₹3,50,000 से बढ़कर ₹5,50,000 हो जाएगी, इसलिए कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

निर्धारण वर्ष 2024-25: चूँकि ऋषि ने पहले ही निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए धारा 139(8A) के तहत अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत कर दिया है, इसलिए वह निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए धारा 139(8A) के तहत पुनः अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत नहीं कर सकते।

11. दोषपूर्ण रिटर्न [धारा 139(9)]

- (1) इस धारा के अंतर्गत, कर निर्धारण अधिकारी को करदाता से त्रुटिपूर्ण विवरणी को सुधारने के लिए कहने का अधिकार है।
- (2) जहाँ कर निर्धारण अधिकारी का मानना है कि करदाता द्वारा प्रस्तुत आयकर विवरणी त्रुटिपूर्ण है, वह करदाता को त्रुटि की सूचना दे सकता है और उसे सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर त्रुटि को सुधारने का अवसर दे सकता है। कर निर्धारण अधिकारी के पास करदाता द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर समयावधि को 15 दिनों से आगे बढ़ाने का विवेकाधिकार है। 15 दिनों की अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस दिन करदाता को सूचना दी गई थी।
- (3) यदि त्रुटि को 15 दिनों की अवधि या ऐसी अतिरिक्त विस्तारित अवधि के भीतर सुधारा नहीं जाता है, तो विवरणी को अमान्य विवरणी माना जाएगा। इसका परिणामी प्रभाव वैसा ही होगा जैसे करदाता द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहने पर होता।

- (4) तथापि, जहां करदाता 15 दिन या आगे बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के बाद, लेकिन कर निर्धारण किए जाने से पहले, त्रुटि को ठीक कर लेता है, तो कर निर्धारण अधिकारी विलंब को माफ कर सकता है और रिटर्न को वैध रिटर्न मान सकता है।
- (5) आयकर रिटर्न को तब तक दोषपूर्ण माना जाएगा जब तक कि आय, सकल कुल आय और कुल आय के प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना से संबंधित अनुलग्नक, विवरण और कॉलम विधिवत रूप से नहीं भरे गए हों।
- (6) धारा 139 के अंतर्गत आयकर रिटर्न को भी दोषपूर्ण माना जाएगा यदि उसके साथ करों के भुगतान का प्रमाण संलग्न नहीं है, चाहे वह अग्रिम कर के रूप में हो या स्व-मूल्यांकन कर के रूप में।

12. आय विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क [धारा 234F]

जहां कोई व्यक्ति, जिसे धारा 139 के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना अपेक्षित है, धारा 139(1) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे फीस के रूप में ₹ 5,000 की राशि का भुगतान करना होगा।

तथापि, यदि व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो देय शुल्क ₹ 1,000 से अधिक नहीं होगा।

13. स्थायी खाता संख्या (PAN) [धारा 139A]

- (1) (1) उपधारा (1) में स्तंभ (2) में उल्लिखित निम्नलिखित व्यक्तियों से अपेक्षा की गई है, जिन्हें स्थायी खाता संख्या (PAN) आवंटित नहीं किया गया है, कि वे स्तंभ (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर PAN के आवंटन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन करें -

(1)	(2)	(3)
	PAN के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक व्यक्ति	ऐसा आवेदन करने की समय सीमा (नियम 114)
(i)	प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह किसी पूर्व वर्ष के दौरान अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है,	उस कर निर्धारण वर्ष की 31 मई को या उससे पहले जिसके लिए ऐसी आय कर निर्धारण योग्य है

	उस अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है।	
(ii)	ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई भी व्यवसाय या पेशा करता है, जिसकी कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियां किसी भी पिछले वर्ष में ₹ 5 लाख से अधिक है या होने की संभावना है।	उस वित्तीय वर्ष के अंत से पहले।
(iii)	प्रत्येक व्यक्ति जो निवासी है, एक व्यक्ति के अलावा, जो एक वित्तीय वर्ष में ₹ 2,50,000 या उससे अधिक की राशि का वित्तीय लेनदेन करता है।	तत्काल आगामी वित्तीय वर्ष की 31 मई को या उससे पहले
(iv)	प्रत्येक व्यक्ति जो ऊपर (iii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का प्रबंध निदेशक, निदेशक, भागीदार, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रमुख अधिकारी या पदाधिकारी है या ऊपर (iii) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति है।	(iii) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उसमें निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन में प्रवेश करने वाले वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद की 31 मई को या उससे पहले।

इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति जिसे PAN आवंटित नहीं किया गया है और जो CBDT द्वारा निर्धारित लेनदेन करना चाहता है, उसे भी कर निर्धारण अधिकारी के पास PAN के लिए आवेदन करना होगा। तदनुसार, निम्नलिखित लेनदेन निर्धारित करने के लिए नियम 114BA जोड़ा गया है:

	PAN के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक व्यक्ति [नियम 114BA]	PAN के लिए आवेदन करने की समय सीमा [नियम 114]
(i)	प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में अपने एक या अधिक खातों में नकदी जमा करना चाहता है, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे खातों में नकदी जमा या नकदी जमा की कुल राशि ₹ 20 लाख या उससे अधिक है।	उस तिथि से कम से कम 7 दिन पहले, जिस दिन वह निर्दिष्ट सीमा से अधिक नकदी जमा करना चाहता है, अर्थात् ₹ 20 लाख या उससे अधिक।
(ii)	प्रत्येक व्यक्ति, जो बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में अपने एक या अधिक खातों से	उस तिथि से कम से कम 7 दिन पहले, जिस दिन वह निर्दिष्ट सीमा से अधिक नकदी निकालना चाहता है, अर्थात् ₹ 20 लाख या उससे अधिक।

	नकदी निकालने का इरादा रखता है, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे खातों से नकदी निकासी या नकदी निकासी की कुल राशि ₹ 20 लाख रुपये या उससे अधिक है।	
(iii)	कोई भी व्यक्ति जो किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक या डाकघर में चालू खाता या नकद ऋण खाता खोलना चाहता है।	जिस तारीख को वह ऐसा खाता खोलना चाहता है, उससे कम से कम 7 दिन पहले।

हालाँकि, किसी व्यक्ति को PAN के लिए आवेदन करने या PAN उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है, निम्नलिखित मामलों में –

- (a) जहां व्यक्ति, उपर्युक्त (i) या (ii) के अनुसार नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से राशि जमा या निकासी कर रहा है, या उपर्युक्त (iii) के अनुसार नकद ऋण खाता न होने वाला चालू खाता खोल रहा है, वह अनिवासी (कंपनी न होने पर) या विदेशी कंपनी है;
 - (b) लेनदेन IFSC बैंकिंग इकाई के साथ किया गया है और
 - (c) ऐसे अनिवासी (कंपनी न होने पर) या विदेशी कंपनी की भारत में कर योग्य कोई आय नहीं है।
- (2) केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है, जिनके द्वारा अधिनियम के तहत कर देय है या किसी अन्य कानून के तहत कोई कर या शुल्क देय है, जो वर्तमान में लागू है। ऐसे व्यक्तियों को उस अधिसूचना में उल्लिखित समय के भीतर PAN के आवंटन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन करना आवश्यक है [उप-धारा (1 A)]।
 - (3) किसी भी जानकारी को इकट्ठा करने के उद्देश्य से, जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकती है, केंद्र सरकार किसी भी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को अधिसूचित कर सकती है, और ऐसे व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर, PAN के आवंटन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन करेंगे [उप-धारा (1 B)]।
 - (4) मूल्यांकन अधिकारी, लेनदेन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को भी (चाहे उसके द्वारा कोई कर देय हो या नहीं) निर्धारित तरीके और प्रक्रिया के अनुसार PAN आवंटित कर सकता है [उप-धारा (2)]।

- (5) उपरोक्त (1) या (4) में उल्लिखित व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति, PAN के आवंटन के लिए कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकता है और कर निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तुरंत PAN आवंटित करेगा।
- (6) ऐसे PAN में 10 अल्फ़ान्यूमेरिक अक्षर होते हैं।
- (7) निम्नलिखित निर्धारित लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों में PAN का उल्लेख अनिवार्य है [धारा 139A(5)]:
- किसी भी आयकर प्राधिकारी को भेजे गए सभी रिटर्न या उसके साथ पत्राचार में;
 - अधिनियम के अंतर्गत देय किसी भी राशि के भुगतान के लिए सभी चालानों में;
 - उसके द्वारा किए गए ऐसे लेन-देन से संबंधित सभी दस्तावेजों में, जैसा कि CBDT द्वारा राजस्व के हित में निर्धारित किया जा सकता है। इस संबंध में, CBDT ने नियम 114B के तहत निम्नलिखित लेन-देन अधिसूचित किए हैं, अर्थात्:

क्र. सं.	लेन-देन की प्रकृति	लेनदेन का मूल्य
1.	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में परिभाषित मोटर वाहन या वाहन की बिक्री या खरीद, जिसके लिए उस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण की आवश्यकता होती है, दो पहिया वाहनों के अलावा।	ऐसे सभी लेनदेन
2.	किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक, जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्थान शामिल है) के साथ खाता खोलना [क्रम संख्या 12 में निर्दिष्ट सावधि जमा और मूल बचत बैंक जमा खाते के अलावा]।	ऐसे सभी लेनदेन
3.	किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक, जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) या किसी अन्य कंपनी या संस्थान को क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने के लिए आवेदन करना।	ऐसे सभी लेनदेन

4.	SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 12(1A) के तहत पंजीकृत डिपॉजिटरी, प्रतिभागी, प्रतिभूतियों के संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ डीमैट खाता खोलना।	ऐसे सभी लेनदेन
5.	किसी भी समय किसी होटल या रेस्तरां को बिल या बिलों के आधार पर भुगतान।	भुगतान में नकद का 50,000 रुपये से अधिक की राशि।
6.	किसी भी विदेशी देश की यात्रा के संबंध में भुगतान या किसी भी समय किसी भी विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान।	50,000 रुपये से अधिक की राशि का नकद भुगतान।
7.	म्यूचुअल फंड को उसकी यूनिटों की खरीद के लिए भुगतान	50,000 रुपये से अधिक की राशि
8.	किसी कंपनी या संस्था को उसके द्वारा जारी किए गए डिबेंचर या बांड प्राप्त करने के लिए भुगतान।	50,000 रुपये से अधिक की राशि
9.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बांड प्राप्त करने के लिए उसे भुगतान।	50,000 रुपये से अधिक की राशि
10.	किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में जमा, जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्थान भी शामिल है); या डाकघर	किसी भी एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा।
11.	किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक से बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश या बैंकर चेक की खरीद, जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित)।	किसी भी एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक की राशि का नकद भुगतान।
12.	एक सावधि जमा, - (i) बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित);	एक वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 रुपये से अधिक या कुल मिलाकर 5 लाख रुपये से अधिक की राशि।

	(ii) डाकघर; (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 में निर्दिष्ट निधि; या (iv) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो जनता से जमा राशि रखने या स्वीकार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र रखती हो।	
13.	भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्री-पेड भुगतान उपकरणों के जारी करने और संचालन के लिए नीति दिशानिर्देशों में परिभाषित एक या अधिक प्री-पेड भुगतान उपकरणों के लिए भुगतान, बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक को, जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) या किसी अन्य कंपनी या संस्थान को।	एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक की राशि का नकद या बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश या बैंक चेक के माध्यम से भुगतान।
14.	बीमा अधिनियम, 1938 में परिभाषित अनुसार बीमाकर्ता को जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में भुगतान।	एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक की कुल राशि।
15.	प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(एच) में परिभाषित प्रतिभूतियों (शेयरों के अलावा) की बिक्री या खरीद के लिए एक अनुबंध।	प्रति लेनदेन 1 लाख रुपये से अधिक राशि।
16.	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी कंपनी के शेयरों की बिक्री या खरीद जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है।	प्रति लेनदेन 1 लाख रुपये से अधिक राशि।
17.	किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद।	₹10 लाख से अधिक की राशि या धारा 50C में निर्दिष्ट स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा ₹10

		लाख से अधिक की राशि पर मूल्यांकित
18.	किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तालिका के क्रम संख्या 1 से 17 में निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं के अलावा किसी भी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या खरीद, यदि कोई हो।	प्रति लेनदेन 2 लाख रुपये से अधिक की राशि

नाबालिग को माता-पिता या अभिभावक का PAN नंबर बताना होगा

जहां कोई व्यक्ति, जो इस नियम में निर्दिष्ट किसी लेन-देन में शामिल होता है, अवयस्क है और जिसकी कोई आय आयकर योग्य नहीं है, तो वह उक्त लेन-देन से संबंधित दस्तावेज में, यथास्थिति, अपने पिता या माता या अभिभावक का PAN उद्धृत करेगा।

PAN न रखने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा

इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी या फर्म नहीं है और जिसके पास PAN नहीं है और जो इस नियम में निर्दिष्ट किसी भी लेनदेन में प्रवेश करता है, उसे फॉर्म नंबर 60 में एक घोषणा करनी होगी, जिसमें आयकर के प्रधान महानिदेशक (सिस्टम) या आयकर महानिदेशक (सिस्टम) द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं, डेटा संरचनाओं और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के तहत कागज के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे लेनदेन का विवरण देना होगा।

किसी विदेशी कंपनी के मामले में, जिसकी भारत में कर योग्य कोई आय नहीं है और जिसके पास PAN नहीं है तथा जो IFSC बैंकिंग इकाई³ में उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 या 12 में निर्दिष्ट लेनदेन करती है, उसे फॉर्म संख्या 60 में घोषणा करनी होगी।

नियम 114B की गैर-प्रयोज्यता

इस नियम के प्रावधान निम्नलिखित वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात:-

- (i) केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और कांसुलर कार्यालय;

³IFSC प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 3(1)(C) के तहत परिभाषित एक वित्तीय संस्थान, जिसे IFSC प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 के तहत अनुमेय गतिविधियों को करने के लिए IFSC द्वारा लाइसेंस या अनुमति दी गई है।

- (ii) सारणी के क्रम संख्या 1 या 2 या 4 या 7 या 8 या 10 या 12 या 14 या 15 या 16 या 17 में निर्दिष्ट लेनदेन के अलावा अन्य लेनदेन के संबंध में धारा 2(30) में निर्दिष्ट गैर-निवासी।

कुछ वाक्यांशों के अर्थ:

	वाक्यांश	समावेश
(1)	यात्रा के संबंध में भुगतान	किराये के लिए भुगतान, या किसी ट्रेवल एजेंट या टूर ऑपरेटर को, या फेमा, 1999 की धारा 2(C) में परिभाषित किसी अधिकृत व्यक्ति को भुगतान
(2)	ट्रेवल एजेंट या टूर ऑपरेटर	वह व्यक्ति जो हवाई, सतह या समुद्री यात्रा की व्यवस्था करता है या आवास, पर्यटन, मनोरंजन, पासपोर्ट, वीजा, विदेशी मुद्रा, यात्रा संबंधी बीमा या अन्य यात्रा संबंधी सेवाएं अलग-अलग या पैकेज में प्रदान करता है
(3)	समयसीमा के लिए जमा किया गया	कोई भी जमा राशि जो एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर चुकानी होती है।

- (8) यदि किसी व्यक्ति के पते या व्यवसाय के नाम और प्रकृति में कोई परिवर्तन होता है, जिसके आधार पर उसे PAN आवंटित किया गया था, तो उसे ऐसे परिवर्तन की सूचना कर निर्धारण अधिकारी को देनी चाहिए [धारा 139A(5)(D)]।

- (9) प्रत्येक व्यक्ति जो ऊपर उद्धृत किसी भी लेनदेन से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि दस्तावेज में PAN या आधार संख्या का विधिवत उल्लेख किया गया है।

(10) स्रोत पर कर काटने या एकत्र करने वाले व्यक्ति को PAN की सूचना देना

प्रत्येक व्यक्ति जो कोई राशि प्राप्त करता है, जिसमें से स्रोत पर कर काटा गया है, उसे अपना PAN उस व्यक्ति को सूचित करना होगा जो ऐसे कर को काटने के लिए जिम्मेदार है [धारा 139A(5A)]।

इसी प्रकार, धारा 206C में निर्दिष्ट प्रत्येक क्रेता या लाइसेंसधारी या पट्टेदार को ऐसे कर को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपना PAN सूचित करना होगा [धारा 139A(5C)]

(11) कुछ दस्तावेजों में PAN का उल्लेख

जहां स्रोत पर कर कटौती के बाद कोई राशि का भुगतान किया गया है, वहां कर कटौती करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित दस्तावेजों में उस व्यक्ति का PAN उद्धृत करेगा जिसे राशि का भुगतान किया गया था:

- (i) धारा 192(2C) के अंतर्गत प्रस्तुत विवरण में, जिसमें किसी कर्मचारी को वेतन के बदले प्रदान की गई सुविधाओं या लाभों का विवरण दिया गया हो;
- (ii) उस व्यक्ति को जारी किए गए सभी कर कटौती प्रमाणपत्रों में, जिसे भुगतान किया गया हो;
- (iii) धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार किसी आयकर प्राधिकारी को तैयार और वितरित या वितरित कराए गए सभी विवरणियों में;
- (iv) धारा 200(3) [धारा 139A(5B)] के प्रावधानों के अनुसार तैयार और वितरित या वितरित कराए गए सभी विवरणों में।

इसके अलावा, धारा 206C के प्रावधानों के अनुसार कर एकत्र करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों में प्रत्येक क्रेता या लाइसेंसधारी या पट्टेदार का PAN उद्धृत करना होगा:

- (i) धारा 206C(5) के प्रावधानों के अनुसार संगृहीत कर के लिए जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों में;
- (ii) धारा 206C(5A)/(5B) के प्रावधानों के अनुसार किसी आयकर प्राधिकारी को तैयार और वितरित या वितरित कराए गए सभी रिटर्न में;
- (iii) धारा 206C(3) [उप-धारा (5D)] के प्रावधानों के अनुसार तैयार और वितरित या वितरित कराए गए सभी विवरणों में।

(12) PAN की जानकारी देने और PAN उद्धृत करने की आवश्यकता कुछ व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी

धारा 139A(5A)/(5B) उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो –

- (i) जिसकी कर योग्य आय नहीं है या
- (ii) जिसे PAN प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है

यदि ऐसा व्यक्ति धारा 197A के तहत निर्धारित प्रपत्र और तरीके से घोषणा प्रस्तुत करता है कि पिछले वर्ष के लिए उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा।

(13) PAN और आधार संख्या की परस्पर परिवर्तनशीलता

प्रत्येक व्यक्ति जिसे अपना PAN प्रस्तुत करना, सूचित करना या उद्धृत करना आवश्यक है, वह PAN के बदले में अपना आधार नंबर प्रस्तुत कर सकता है, सूचित कर सकता है या उद्धृत कर सकता है, यदि वह

- उसे PAN आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन उसके पास आधार नंबर है

- उसे PAN आवंटित किया गया है और उसने धारा 139AA(2) में निहित आवश्यकता के अनुसार निर्धारित प्राधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित कर दिया है।

PAN उस व्यक्ति को निर्धारित तरीके से आवंटित किया जाएगा जिसे PAN आवंटित नहीं किया गया है लेकिन उसके पास आधार नंबर है।

तदनुसार, CBDT ने अधिसूचना संख्या 59/2019, दिनांक 30.8.2019 के माध्यम से यह प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति, जिसे PAN आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन उसके पास आधार संख्या है और उसने PAN के बदले में अपना आधार नंबर प्रस्तुत किया है या सूचित किया है या उद्धृत किया है, तो यह माना जाएगा कि उसने PAN के आवंटन के लिए आवेदन किया है और उसे कोई भी दस्तावेज आवेदन करने या प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति, जिसे PAN आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन उसके पास आधार नंबर है, वह अपना आधार नंबर बताकर धारा 139A(1)/(1A)/(3) के तहत PAN के आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है और उसे कोई भी आवेदन करने या कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(14) PAN या आधार संख्या का उल्लेख और प्रमाणीकरण

- ऐसे निर्धारित लेनदेन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों में अपना PAN या आधार नंबर, जैसा भी मामला हो, उद्धृत करना आवश्यक है और निर्धारित तरीके से ऐसे PAN या आधार नंबर को प्रमाणित भी करना होगा [धारा 139 A (6 A)]।
- (a) में निर्दिष्ट लेनदेन से संबंधित ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज में PAN या आधार नंबर विधिवत उद्धृत किया गया है और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा PAN या आधार नंबर प्रमाणित है [धारा 139A(6B)]।

तदनुसार, नियम 114BB को यह निर्धारित करने के लिए शामिल किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट लेनदेन में प्रवेश करते समय, ऐसे लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों में अपना स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, उद्धृत करना होगा, और उक्त तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे दस्तावेज प्राप्त करता है, को यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त संख्या को विधिवत उद्धृत और प्रमाणित किया गया है:

(1) क्र. सं.	(2) लेन-देन की प्रकृति	(3) व्यक्ति
1.	किसी व्यक्ति के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये या उससे अधिक की कुल नकद जमा या जमा राशि।	किसी बैंक या सहकारी बैंक या डाकघर के पोस्ट मास्टर जनरल।
2.	किसी व्यक्ति के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघर के एक या एक से अधिक खातों से एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद निकासी या निकासी।	किसी बैंक या सहकारी बैंक या डाकघर के पोस्ट मास्टर जनरल।
3.	किसी व्यक्ति द्वारा बैंक या सहकारी बैंक या डाकघर में चालू खाता या नकद ऋण खाता खोलना	किसी बैंक या सहकारी बैंक या डाकघर के पोस्ट मास्टर जनरल।

नोट 1- तथापि, ऐसे मामले में PAN या आधार संख्या का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, जहां क्रमांक 1 के अनुसार धन जमा करने वाला या क्रमांक 2 के अनुसार धन निकालने वाला या क्रमांक 3 के अनुसार चालू खाता या नकद ऋण खाता खोलने वाला व्यक्ति केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या कांसुलर कार्यालय है।

नोट 2- ऐसे मामले में PAN या आधार नंबर बताना भी आवश्यक नहीं है,

- जहाँ कोई व्यक्ति, जो उपरोक्त क्रम संख्या 1 या क्रम संख्या 2 के अनुसार नकद के अलावा किसी अन्य माध्यम से राशि जमा या निकासी कर रहा है, या उपरोक्त क्रम संख्या 3 के अनुसार नकद ऋण खाता न होने वाला चालू खाता खोल रहा है, एक अनिवासी (कंपनी न होने पर) या एक विदेशी कंपनी है;
- लेन-देन किसी IFSC बैंकिंग इकाई के साथ किया गया है; और
- ऐसे अनिवासी (कंपनी न होने पर) या विदेशी कंपनी की भारत में कर योग्य कोई आय नहीं है।

(15) नियम बनाने की शक्ति

CBDT को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है::

- वह प्रारूप और तरीका जिससे PAN के लिए आवेदन किया जा सकेगा और उसमें दिए जाने वाले विवरण;
- लेन-देन की वे श्रेणियाँ जिनके संबंध में संबंधित दस्तावेजों पर PAN या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, उद्धृत करना आवश्यक है;
- व्यवसाय या पेशे से संबंधित दस्तावेजों की वे श्रेणियाँ जिनमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा PAN या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, उद्धृत की जाएगी;
- व्यक्तियों का वह वर्ग या वर्ग जिन पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे;
- वह प्रारूप और तरीका जिससे कोई व्यक्ति, जिसे PAN आवंटित नहीं किया गया है, घोषणा करेगा;
- वह तरीका जिससे ऊपर (b) में उल्लिखित लेन-देन के लिए PAN या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, उद्धृत की जाएगी;
- वह समय और तरीका जिससे ऊपर (b) में उल्लिखित ऐसे लेन-देन की सूचना विहित प्राधिकारी को दी जाएगी।

(16) कुछ शर्तों का अर्थ

	शर्त	अर्थ
(i)	आधार संख्या	जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के बाद प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को जारी की जाने वाली पहचान संख्या। इसमें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से उत्पन्न कोई भी वैकल्पिक आभासी पहचान शामिल है।
(ii)	प्रमाणीकरण	वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी के साथ PAN या आधार संख्या को आयकर प्राधिकरण या ऐसे अन्य निर्धारित प्राधिकरण या एजेंसी को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा प्राधिकरण या एजेंसी अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसकी सत्यता या कमी को सत्यापित करता है।

(17) धारा 139A [धारा 272B] के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना

धारा	चूक	जुर्माना
272B(1)	धारा 139A के प्रावधानों का पालन न करना	₹ 10,000
272B(2)	धारा 139A(5)(c) में निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज़ में PAN/आधार संख्या का उल्लेख न करना	प्रत्येक चूक के लिए ₹ 10,000
	धारा 139A(5A)/(5C) के अनुसार PAN/आधार संख्या सूचित न करना	
	जानबूझकर कोई गलत संख्या उद्धृत करना या बताना	
272B(2A)	धारा 139A(6A) में निर्दिष्ट दस्तावेजों में PAN/आधार संख्या उद्धृत न करना या उसमें निहित प्रावधानों के अनुसार ऐसी संख्या को प्रमाणित न करना।	प्रत्येक चूक के लिए ₹ 10,000
272B(2B)	(i) यह सुनिश्चित करने में विफलता कि धारा 139A(5)(C) या धारा 139A(6A) में निर्दिष्ट लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों में PAN/आधार संख्या का विधिवत उल्लेख किया गया है।	प्रत्येक चूक के लिए ₹ 10,000
	(ii) यह सुनिश्चित करने में विफलता कि धारा 139A(6A) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेनदेन के संबंध में PAN/आधार संख्या को विधिवत प्रमाणित किया गया है	
<p>नोट – उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है जिस पर धारा 272B के अधीन दंड लगाया जाना प्रस्तावित है।</p>		

14. आधार संख्या का उल्लेख [धारा 139AA]

(1) आधार संख्या का उल्लेख अनिवार्य

प्रत्येक व्यक्ति जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे अनिवार्य रूप से आधार संख्या बताना आवश्यक है:

- स्थायी खाता संख्या (PAN) के आवंटन हेतु आवेदन पत्र में
- आयकर विवरणी में

1.4.2019 को या उसके बाद दाखिल किए गए रिटर्न में आधार नंबर का उल्लेख अनिवार्य है [परिपत्र संख्या 6/2019 दिनांक 31.03.2019]

धारा 139AA(1)(ii) के अनुसार, 01.07.2017 से, आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति को आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में धारा 139AA की वैधता को बरकरार रखा है। परिणामस्वरूप, 01.04.2019 से, CBDT ने स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है, जब तक कि धारा 139AA(3) [अगले पृष्ठ के बिंदु संख्या (5) में विस्तृत] के तहत जारी किसी अधिसूचना में विशेष रूप से छूट न दी गई हो। इस प्रकार, 1.4.2019 को या उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल रूप से दाखिल किए जाने वाले रिटर्न आधार संख्या का उल्लेख किए बिना दाखिल नहीं किए जा सकते।

(2) नामांकन ID का उल्लेख करना, जहां व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है

यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो उसे स्थायी खाता संख्या (PAN) के आवंटन के लिए आवेदन पत्र में या उसके द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न में नामांकन के समय जारी किए गए आधार आवेदन पत्र की नामांकन ID का उल्लेख करना आवश्यक है।

यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो उसे स्थायी खाता संख्या (PAN) के आवंटन के लिए आवेदन पत्र में या उसके द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न में नामांकन के समय जारी किए गए आधार आवेदन पत्र की नामांकन ID का उल्लेख करना आवश्यक है।

हालाँकि, 1 अक्टूबर, 2024 से स्थायी खाता संख्या (PAN) के आवंटन के लिए या प्रस्तुत आय विवरणी में आधार आवेदन की नामांकन ID उद्धृत करने का विकल्प बंद कर दिया गया है।

(3) नामांकन ID का उल्लेख करना, जहां व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है

प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक स्थायी खाता संख्या (PAN) आवंटित किया गया है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले निर्धारित प्राधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित करना होगा।

आधार संख्या को PAN के साथ सूचित/लिंक करने की अंतिम तिथि 31.03.2022 होने के बावजूद, यह स्पष्ट किया जाता है कि 01.04.2019 से, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या को मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उद्धृत और लिंक करना अनिवार्य है, जब तक कि नीचे बिंदु (5) में विस्तृत मामलों में विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

जिस व्यक्ति को 1 अक्टूबर, 2024 से पहले दाखिल किए गए आधार आवेदन पत्र की नामांकन ID के आधार पर स्थायी खाता संख्या आवंटित की गई है, उसे 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले या CBDT [अधिसूचना संख्या 26/2025 दिनांक 3.4.2025] द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक निर्धारित तरीके से निर्धारित प्राधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित करना होगा।

(4) आधार संख्या न बताने के परिणाम

यदि कोई व्यक्ति आधार संख्या सूचित करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आवंटित स्थायी खाता संख्या (PAN) निर्धारित तरीके से अधिसूचित तिथि के बाद निष्क्रिय कर दी जाएगी।

तदनुसार, नियम 114AAA स्थायी खाता संख्या को निष्क्रिय करने का तरीका निर्दिष्ट करता है।

उप नियम	प्रावधान
(1)	यदि कोई व्यक्ति, जिसे 1 जुलाई, 2017 को PAN आवंटित किया गया है और उसे धारा 139AA(2) के तहत अपना आधार नंबर बताना आवश्यक है, 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले इसकी जानकारी देने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का PAN निष्क्रिय हो जाएगा और उसे नियम 114(5A) के साथ धारा 234H के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा, अर्थात् 1,000 ⁴ रुपये।
(2)	जहां ऐसा व्यक्ति जिसने 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले अपना आधार नंबर सूचित नहीं किया है, उसने 31 मार्च, 2022 के बाद धारा 139AA(2) के तहत अपना आधार नंबर सूचित किया है, नियम 114(5A) के साथ धारा 234H में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान के बाद, उसका PAN आधार नंबर की सूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर सक्रिय हो जाएगा।
(3)	वह व्यक्ति, जिसका PAN निष्क्रिय हो गया है, नीचे (4) के तहत निर्दिष्ट तिथि से लेकर उसके सक्रिय होने की तिथि तक की अवधि के लिए निम्नलिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा - (i) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत देय कर की किसी राशि या उसके किसी भाग की वापसी नहीं की जाएगी; (ii) नीचे (4) में निर्दिष्ट तिथि से प्रारंभ होकर उसके प्रभावी होने की तिथि

⁴ यदि आधार संख्या 30.06.2022 को या उससे पहले सूचित की गई थी तो शुल्क 500 रुपये था

	<p>तक की अवधि के लिए ऐसी वापसी पर ब्याज देय नहीं होगा;</p> <p>(iii) जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में कर स्रोत पर कटौती योग्य है, वहां ऐसा कर धारा 206AA के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर काटा जाएगा;</p> <p>(iv) जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में कर स्रोत पर संग्रहणीय है, वहां ऐसा कर धारा 206CC के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर एकत्र किया जाएगा।</p>
(4)	उपरोक्त (3) में परिणाम बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 1.7.2023 [परिपत्र संख्या 3/2023 दिनांक 28 मार्च, 2023] से प्रभावी होंगे।

(5) PAN के निष्क्रिय हो जाने के परिणामों पर स्पष्टीकरण

ये परिणाम **1.7.2023** से प्रभावी होंगे और PAN के चालू होने तक जारी रहेंगे। आधार संख्या बताकर PAN को चालू करने के लिए ₹1,000 का शुल्क देना होगा।

PAN के निष्क्रिय होने के परिणाम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें नीचे बिंदु (6) में आधार संख्या बताने से छूट दी गई है।

(6) प्रावधान कुछ व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होगा

तथापि, आधार संख्या उद्धृत करने से संबंधित धारा 139एए के प्रावधान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों या किसी राज्य या किसी राज्य के भाग पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

तदनुसार, केन्द्र सरकार ने दिनांक 11.05.2017 की अधिसूचना संख्या 37/2017, जो 01.07.2017 से प्रभावी है, के माध्यम से अधिसूचित किया है कि आधार संख्या उद्धृत करने से संबंधित धारा 139एए के प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसके पास आधार संख्या या नामांकन ID नहीं है और वह:

- (i) असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय में निवास करता हो;
- (ii) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी हो;
- (iii) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो;
- (iv) भारत का नागरिक न हो

15. कर रिटर्न तैयारकर्ताओं के माध्यम से रिटर्न जमा करने की योजना [धारा 139]

- (1) यह धारा यह प्रावधान करती है कि किसी निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को अपनी आय का रिटर्न तैयार करने और प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, CBDT एक योजना अधिसूचित कर सकता है, जिसमें यह प्रावधान हो कि ऐसे व्यक्ति योजना के तहत इस रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर रिटर्न तैयारकर्ता के माध्यम से अपनी आय का रिटर्न प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (2) कर रिटर्न तैयारकर्ता, योजना में निर्दिष्ट तरीके से रिटर्न प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की सहायता करेगा और ऐसे रिटर्न पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा।
- (3) कर रिटर्न तैयारकर्ता का अर्थ है कोई भी व्यक्ति,
 - (i) किसी अनुसूचित बैंक का कोई अधिकारी जिसके साथ करदाता का चालू खाता हो या अन्य नियमित लेन-देन हो।
 - (ii) कोई भी विधि व्यवसायी जो भारत में किसी भी सिविल न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार हो।
 - (iii) एक लेखाकार
 - (iv) 'निर्दिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के वर्गों' का कोई कर्मचारी।

जिसे योजना के अंतर्गत कर रिटर्न तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- (4) इस प्रयोजन के लिए "व्यक्तियों के निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों" से तात्पर्य किसी कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति से है जिसके खातों को धारा 44AB (कर लेखा परीक्षा) या किसी अन्य मौजूदा कानून के तहत लेखा परीक्षित किया जाना आवश्यक है, जिसे अधिनियम के तहत आय का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (5) उक्त धारा के अंतर्गत अधिसूचित योजना में निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं -
 - (i) वह तरीका जिससे और वह अवधि जिसके लिए कर विवरणी तैयारकर्ताओं को अधिकृत किया जाएगा,
 - (ii) कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ, तथा प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक शर्तें,
 - (iii) कर विवरणी तैयारकर्ताओं के लिए आचार संहिता,
 - (iv) कर विवरणी तैयारकर्ताओं के कर्तव्य और दायित्व,

- (v) वे परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत कर विवरणी तैयारकर्ता को दिया गया प्राधिकरण वापस लिया जा सकता है, और
- (vi) कोई अन्य प्रासंगिक मामला जो योजना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (6) तदनुसार, CBDT ने इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर रिटर्न तैयारकर्ता योजना, 2006 तैयार की है, जो 1.12.2006 से लागू हुई।

विवरण	विषय
योजना की प्रयोज्यता	यह योजना सभी पात्र व्यक्तियों पर लागू है।
पात्र व्यक्ति	कोई भी व्यक्ति जो एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार हो।
कर रिटर्न तैयारकर्ता	<p>कोई भी व्यक्ति जिसे इस योजना के अंतर्गत भागीदार संगठन द्वारा "कर विवरणी तैयारकर्ता प्रमाणपत्र" और "विशिष्ट पहचान संख्या" जारी की गई है ताकि वह योजना के अनुसार आयकर विवरणी तैयार करने का व्यवसाय जारी रख सके।</p> <p>हालाँकि, निम्नलिखित व्यक्ति कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के हकदार नहीं हैं:</p> <p>(i) किसी अनुसूचित बैंक का कोई अधिकारी जिसके साथ करदाता का चालू खाता हो या अन्य नियमित लेन-देन हो।</p> <p>(ii) कोई विधि व्यवसायी जो भारत में किसी भी सिविल न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार हो।</p> <p>(iii) एक लेखाकार।</p>
कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए शैक्षिक योग्यता	कोई व्यक्ति, जिसने किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो, या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वह कर रिटर्न तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होगा।

<p>कर रिटर्न तैयारकर्ता द्वारा आयकर रिटर्न तैयार करना और प्रस्तुत करना</p>	<p>एक पात्र व्यक्ति, अपने विकल्प पर, किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के तहत अपनी आय का रिटर्न कर रिटर्न तैयारकर्ता के माध्यम से तैयार करवाने के बाद प्रस्तुत कर सकता है: हालांकि, निम्नलिखित पात्र व्यक्ति (एक व्यक्ति या एक HUF) कर रिटर्न तैयारकर्ता के माध्यम से किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आय का रिटर्न प्रस्तुत नहीं कर सकता है:</p> <p>(i) जो पिछले वर्ष के दौरान कारोबार या पेशा चला रहा है और उस पिछले वर्ष के कारोबार या पेशे के खातों की धारा 44एबी या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत लेखापरीक्षा की जानी आवश्यक है; या</p> <p>(ii) जो पिछले वर्ष के दौरान भारत का निवासी नहीं है। कोई पात्र व्यक्ति किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर रिटर्न तैयारकर्ता के माध्यम से संशोधित आय रिटर्न प्रस्तुत नहीं कर सकता है, जब तक कि उसने उस कर निर्धारण वर्ष के लिए मूल आय रिटर्न ऐसे या किसी अन्य कर रिटर्न तैयारकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत न किया हो।</p>
---	--

नोट - यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 139B(3) के अनुसार, "निर्दिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के वर्गों" का कोई भी कर्मचारी कर रिटर्न तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि कंपनियों के कर्मचारी और वे व्यक्ति जिनके खातों का धारा 44एबी या किसी अन्य वर्तमान कानून के तहत ऑडिट किया जाना आवश्यक है (चूंकि वे निर्दिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं), कर रिटर्न तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के पात्र हैं।

चित्रण 4

ब्यूटी पार्लर के व्यवसाय से जुड़ी श्रीमती हेतल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा पुस्तकों का धारा 44AB के अंतर्गत ऑडिट करवाया है। निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए उनकी कुल आय ₹15,35,000 है। वह कर रिटर्न तैयार करने वाले के माध्यम से निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आयकर विवरणी प्रस्तुत करना चाहती हैं। क्या वह ऐसा कर सकती हैं?

समाधान

धारा 139B किसी भी आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न तैयारकर्ता के माध्यम से जमा करने की योजना प्रदान करती है। हालांकि, यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं है जिनकी लेखा पुस्तकों का धारा 44AB के तहत ऑडिट किया जाना आवश्यक है। इसलिए, श्रीमती हेतल कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आयकर रिटर्न कर रिटर्न तैयारकर्ता के माध्यम से जमा नहीं कर सकती हैं।

16. आय विवरणी सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति [धारा 140]

यह धारा उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो धारा 139 के अंतर्गत आयकर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए अधिकृत हैं।

करदाता	परिस्थिति	अधिकृत व्यक्ति
1. व्यक्तिगत	(i) नीचे (ii), (iii) और (iv) के अंतर्गत शामिल न होने वाली परिस्थितियों में	- व्यक्ति स्वयं
	(ii) जहां वह भारत से अनुपस्थित हैं	- व्यक्ति स्वयं; या - इस संबंध में उसके द्वारा विधिवत अधिकृत कोई व्यक्ति जिसके पास व्यक्ति से वैध मुख्तारनामा हो (ऐसी मुख्तारनामा आयकर विवरणी के साथ संलग्न की जानी चाहिए)
	(iii) जहां वह मानसिक रूप से अपने कामों में भाग लेने में असमर्थ है	- उसका अभिभावक; या - उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई अन्य व्यक्ति
	(iv) जहां, किसी अन्य कारण से, व्यक्ति के लिए रिटर्न सत्यापित करना संभव नहीं है	- इस संबंध में उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, जिसके पास व्यक्ति से वैध मुख्तारनामा हो, जिसे आयकर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
2. हिंदू अविभाजित परिवार	(i) नीचे (ii) और (iii) के अंतर्गत शामिल नहीं की गई परिस्थितियों में	- कर्ता
	(ii) जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है	- HUF का कोई अन्य वयस्क सदस्य

		(iii) जहां कर्ता मानसिक रूप से अपने कार्यों में भाग लेने में असमर्थ है	- HUF का कोई अन्य वयस्क सदस्य
3.	कंपनी	(i) नीचे (i) से (vi) के अंतर्गत शामिल नहीं की गई परिस्थितियों में	- कंपनी के प्रबंध निदेशक
		(ii) (a) जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक रिटर्न का सत्यापन करने में सक्षम नहीं है; या (b) जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं है	कंपनी का कोई निदेशक या कोई अन्य व्यक्ति, जैसा कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जा सकता है
		(iii) जहां कंपनी भारत में निवासी नहीं है	- कंपनी का प्रबंध निदेशक (या) - ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसा करने के लिए ऐसी कंपनी से वैध मुख्तारनामा हो (ऐसी मुख्तारनामा रिटर्न के साथ संलग्न होनी चाहिए)।
		(iv) (a) जहां कंपनी का समापन किया जा रहा हो (चाहे न्यायालय के आदेश से या अन्यथा); या (b) जहां किसी व्यक्ति को कंपनी की किसी भी संपत्ति का रिसेवर नियुक्त किया गया हो	- परिसमापक - परिसमापक
		(v) जहां कंपनी का प्रबंधन किसी कानून के तहत केंद्र सरकार या किसी	- कंपनी के प्रमुख अधिकारी

		राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया हो	
		(vi) जहां दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।	- ऐसे न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त दिवाला पेशेवर
4.	फर्म	(i) नीचे (ii) के अंतर्गत शामिल नहीं की गई परिस्थितियों में	- फर्म के प्रबंध भागीदार
		(ii) (a) जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार रिटर्न सत्यापित करने में सक्षम नहीं है; या (b) जहां कोई प्रबंध भागीदार नहीं है।	- फर्म का कोई भी भागीदार, नाबालिग न हो - फर्म का कोई भी भागीदार, नाबालिग न हो
5.	LLP	(i) नीचे (ii) के अंतर्गत शामिल नहीं की गई परिस्थितियों में	- नामित भागीदार
		(ii) (a) जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा नामित भागीदार रिटर्न को सत्यापित करने में सक्षम नहीं है; या (b) जहां कोई नामित भागीदार नहीं है।	- LLP का कोई भी भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति जिसे इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जा सकता है
6.	स्थानीय प्राधिकारी	-	- प्रमुख अधिकारी
7.	राजनीति क दल ⁵	-	- ऐसे दल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चाहे वह सचिव या किसी अन्य पदनाम से जाना जाता हो)

⁵ धारा 139(4B) में संदर्भित, जिस पर अंतिम स्तर पर विचार किया जाएगा।

8.	कोई अन्य संघ	-	- संघ का कोई भी सदस्य या ऐसे संघ का प्रमुख अधिकारी
9.	कोई अन्य व्यक्ति	-	- वह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो उसकी ओर से कार्य करने में सक्षम हो।

कंपनी और LLP के मामले में कोई अन्य व्यक्ति - CBDT ने अधिसूचना संख्या 93/2021 दिनांक 18.8.2021 के माध्यम से निर्दिष्ट किया है कि कंपनी और एलएलपी के लिए क्रमशः धारा 140(C) और 140(CD) में संदर्भित "कोई अन्य व्यक्ति", वह व्यक्ति होगा, जिसे दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत अंतरिम समाधान पेशेवर, समाधान पेशेवर, या परिसमापक, जैसा भी मामला हो, के कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (यानी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) द्वारा नियुक्त किया जाएगा।



आइए हम पुनः दोहराएँ

धारा	विवरण
139(1)	<p>करदाताओं को अनिवार्य रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक</p> <p>(i) कंपनियाँ और फर्म (चाहे लाभ या हानि या शून्य आय वाली हों);</p> <p>(ii) कोई व्यक्ति, जो सामान्यतः निवासी न हो, के अलावा निवासी हो, जिसकी भारत के बाहर स्थित कोई परिसंपत्ति (किसी संस्था में कोई वित्तीय हित सहित) हो और जो लाभार्थी स्वामी या लाभार्थी के रूप में धारित हो या जिसके पास भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार हो, चाहे उसकी आय करयोग्य हो या न हो;</p> <p>(iii) व्यक्ति, HUF, AOP या BOI और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जिनकी कुल आय अध्याय VI-A और धारा 54, 54B, 54D, 54EC या 54F के प्रावधानों को लागू करने से पहले मूल छूट सीमा से अधिक हो।</p> <p>(iv) कंपनी या फर्म के अलावा कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 139(1) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जो पिछले वर्ष के दौरान -</p> <ul style="list-style-type: none"> - किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक या एक से अधिक चालू खातों में ₹1 करोड़ से अधिक जमा किया हो; या - स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विदेश यात्रा पर ₹2 लाख से अधिक व्यय किया हो; या - बिजली की खपत पर ₹1 लाख से अधिक व्यय किया हो; या - ऐसी अन्य शर्तें पूरी करता हो जो निर्धारित की जा सकती हैं। <p>तदनुसार, CBDT ने अधिसूचित किया है कि कंपनी या फर्म के अलावा कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 139(1) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, उसे देय तिथि पर या उससे पहले अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा -</p> <p>(i) यदि व्यवसाय में उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां, जैसा भी मामला हो, पिछले वर्ष के दौरान 60 लाख रुपये से अधिक है; या</p>

	<p>(ii) यदि पिछले वर्ष के दौरान पेशे से उसकी कुल सकल प्राप्तियां 10 लाख रुपये से अधिक हों; या</p> <p>(iii) यदि व्यक्ति के मामले में पिछले वर्ष के दौरान टीडीएस और TCS का कुल योग 25,000 रुपये या अधिक है; या तथापि, कोई निवासी व्यक्ति जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, यदि उसके मामले में पिछले वर्ष के दौरान टीडीएस और TCS का कुल योग 50,000 रुपये या अधिक है।</p> <p>(iv) व्यक्ति के एक या अधिक बचत बैंक खाते में कुल जमा राशि पिछले वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये या उससे अधिक है।</p> <p>आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि</p> <p>(i) निर्धारण वर्ष की 31 अक्टूबर, यदि करदाता (नीचे (ii) में निर्दिष्ट करदाता के अलावा) है:</p> <p>(a) कोई कंपनी;</p> <p>(b) कोई व्यक्ति (कंपनी के अलावा) जिसके खातों का ऑडिट किया जाना आवश्यक है; या</p> <p>(c) किसी फर्म का भागीदार जिसके खातों का ऑडिट किया जाना आवश्यक है।</p> <p>(ii) कर निर्धारण वर्ष की 30 नवम्बर, ऐसे करदाता के मामले में जिसके अंतर्गत फर्म के भागीदार भी हैं, जो ऐसा करदाता है जिसे धारा 92ड में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।</p> <p>(iii) किसी अन्य करदाता के मामले में, कर निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई।</p>
<p>139(3)</p>	<p>हानि की वापसी</p> <p>एक करदाता अपने घाटे को आगे ले जा सकता है या सेट ऑफ कर सकता है, बशर्ते उसने धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर धारा 139(3) के तहत अपना रिटर्न दाखिल किया हो।</p> <p>अपवाद</p> <p>गृह संपत्ति से होने वाली हानि और अनवशोषित मूल्य ह्रास को समायोजनके लिए आगे ले जाया जा सकता है, भले ही रिटर्न नियत तिथि से पहले दाखिल न किया गया हो।</p>
<p>139(4)</p>	<p>विलंबित वापसी</p> <p>किसी भी पिछले वर्ष के लिए आय का रिटर्न, जो धारा 139(1) के तहत अनुमत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है, निम्नलिखित से पहले किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है:</p>

	<p>(i) प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले (अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31.12.2026); या</p> <p>(ii) मूल्यांकन पूरा होने पर, जो भी पहले हो।</p>						
139(5)	<p>संशोधित रिटर्न यदि धारा 139(1) के तहत प्रस्तुत रिटर्न या धारा 139(4) के तहत विलंबित रिटर्न में कोई चूक या कोई गलत विवरण पाया जाता है, तो करदाता द्वारा संशोधित रिटर्न निम्नलिखित तिथि से पहले किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है:</p> <p>(i) संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले (अर्थात्, पिछले वर्ष 2025-26 के लिए 31.12.2026); या</p> <p>(ii) कर निर्धारण पूरा होने पर, जो भी पहले हो।</p> <p>इस प्रकार, विलम्बित रिटर्न को भी संशोधित किया जा सकता है।</p>						
234A	<p>आय विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज धारा 234A के तहत ब्याज देय होता है, जहां करदाता देय तिथि के बाद आयकर रिटर्न प्रस्तुत करता है या आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है। करदाता देय तिथि के तुरंत बाद की तारीख से शुरू होने वाली और निम्नलिखित तारीखों को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 1% प्रति माह या महीने के हिस्से पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>परिस्थितियाँ</th> <th>निम्नलिखित तिथियों पर समाप्त हो रहा है</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जहां रिटर्न नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किया जाता है</td> <td>रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि</td> </tr> <tr> <td>जहां कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जाता है</td> <td>मूल्यांकन पूरा होने की तिथि</td> </tr> </tbody> </table> <p>हालाँकि, जहां करदाता ने देय तिथि पर या उससे पहले पूर्ण कर का भुगतान कर दिया है, वहां धारा 234A के तहत ब्याज देय नहीं है।</p>	परिस्थितियाँ	निम्नलिखित तिथियों पर समाप्त हो रहा है	जहां रिटर्न नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किया जाता है	रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि	जहां कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जाता है	मूल्यांकन पूरा होने की तिथि
परिस्थितियाँ	निम्नलिखित तिथियों पर समाप्त हो रहा है						
जहां रिटर्न नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किया जाता है	रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि						
जहां कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जाता है	मूल्यांकन पूरा होने की तिथि						
140A	<p>स्व-मूल्यांकन कर जहां धारा 139 के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी रिटर्न के आधार पर कोई कर देय है, वहां निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए-</p> <p>(i) पहले से चुकाई गई कर राशि,</p> <p>(ii) स्रोत पर काटा गया या संग्रहित कर</p>						

	<p>(iii) धारा 89 के अंतर्गत दावा किया गया कोई कर राहत</p> <p>(iv) धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार समायोजन किए जाने का दावा किया गया कोई कर क्रेडिट, यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है; और</p> <p>(v) धारा 191(2) के प्रावधानों के अनुसार देय कोई कर और ब्याज</p> <p>करदाता रिटर्न प्रस्तुत करने में किसी भी देरी या रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले अग्रिम कर के भुगतान में किसी भी चूक या देरी के लिए इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत देय ब्याज और शुल्क के साथ ऐसे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।</p> <p>जहां धारा 140 A (1) के तहत करदाता द्वारा भुगतान की गई राशि पूर्वोक्त कर, ब्याज और शुल्क के कुल योग से कम हो जाती है, इस प्रकार भुगतान की गई राशि पहले देय शुल्क के लिए समायोजित की जाएगी और उसके बाद ब्याज के लिए और शेष राशि देय कर के लिए समायोजित की जाएगी।</p>
<p>139(8A)</p>	<p><u>अद्यतन रिटर्न</u></p> <p>कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने धारा 139(1) के तहत रिटर्न या धारा 139(4) के तहत विलम्बित रिटर्न या धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न प्रस्तुत किया हो या नहीं, वह संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 48 महीनों के भीतर किसी भी समय कर निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के लिए अपनी आय या किसी अन्य व्यक्ति की आय, जिसके संबंध में वह कर निर्धारण योग्य है, का अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है।</p> <p>अद्यतन रिटर्न के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यदि उस व्यक्ति का उस कर निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न -</p> <p>(i) हानि रिटर्न है; या</p> <p>(ii) धारा 139(1) या धारा 139(4) या धारा 139(5) के तहत प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर निर्धारित कुल कर देयता को कम करने का प्रभाव है; या</p> <p>(iii) धारा 139(1) या धारा 139(4) या धारा 139(5) के तहत प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर रिफंड या देय रिफंड में वृद्धि होती है।</p> <p>किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए कोई अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, जहां -</p>

	<p>(a) इस उपधारा के अंतर्गत संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए उसके द्वारा अद्यतन विवरणी प्रस्तुत की गई है; या</p> <p>(b) उसके मामले में संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए आय के कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना या संशोधन के लिए कोई कार्यवाही लंबित है या पूरी हो चुकी है; या</p> <p>(c) वह ऐसा व्यक्ति है या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से संबंधित है, जिसे CBDT द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।</p>
140B	<p><u>अद्यतन रिटर्न पर कर</u></p> <p>यदि पहले कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अद्यतन आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले कर, अतिरिक्त कर, ब्याज और शुल्क का भुगतान - जहां किसी करदाता द्वारा आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है और धारा 139(8A) के तहत ऐसे करदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अद्यतन रिटर्न के आधार पर कर देय है, वहां करदाता रिटर्न प्रस्तुत करने में किसी देरी या अग्रिम कर के भुगतान में किसी चूक या देरी के लिए इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत देय ब्याज और शुल्क के साथ-साथ रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले धारा 140B(3) के तहत गणना किए गए अतिरिक्त कर के भुगतान के साथ ऐसे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।</p> <p>अद्यतन रिटर्न के साथ ऐसे कर, अतिरिक्त आयकर, ब्याज और शुल्क के भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।</p> <p>देय कर की गणना निम्नलिखित को ध्यान में रखकर की जाएगी -</p> <p>(i) अग्रिम कर के रूप में पहले से भुगतान की गई कर राशि, यदि कोई हो</p> <p>(ii) स्रोत पर काटा या संग्रहित कर</p> <p>(iii) धारा 89 के अंतर्गत दावा किया गया कोई कर राहत; और</p> <p>(iv) धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार समायोजनके लिए दावा किया गया कोई कर क्रेडिट, यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।</p> <p>ऐसे मामले में, जहां पहले कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है, धारा 234A के तहत देय ब्याज की गणना धारा 140A(1A) के प्रावधानों के अनुसार धारा 139(8A) के तहत अद्यतन रिटर्न में घोषित कुल आय पर कर की राशि पर की जानी है।</p>

यदि रिटर्न पहले प्रस्तुत किया गया है तो अद्यतन आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले कर, अतिरिक्त कर, ब्याज और शुल्क का भुगतान

जहां धारा 139(1) या 139(4) या 139(5) के तहत आयकर रिटर्न किसी करदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया है और कर देय है, ऐसे करदाता द्वारा धारा 139(8A) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले अद्यतन रिटर्न के आधार पर, करदाता अग्रिम कर के भुगतान में किसी भी चूक या देरी के लिए इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत देय ब्याज के साथ ऐसे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, साथ ही धारा 140B(3) के तहत गणना किए गए अतिरिक्त कर के भुगतान के साथ, रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले, पहले रिटर्न में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भुगतान किए गए ब्याज की राशि को घटा दिया जाएगा।

अद्यतन रिटर्न के साथ ऐसे कर, अतिरिक्त आयकर और ब्याज के भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।

देय कर की गणना निम्नलिखित को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए -

- (i) धारा 140A(1) में निर्दिष्ट राहत या कर की राशि, जिसका क्रेडिट पहले के रिटर्न में लिया गया है
- (ii) अध्याय XVII-B के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी आय पर स्रोत पर कटौती या संग्रह किया गया कर, जो ऐसी कटौती या संग्रह के अधीन है और जिसे कुल आय की गणना में ध्यान में रखा जाता है और जिसे पहले रिटर्न में शामिल नहीं किया गया है
- (iii) धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार समायोजन करने के लिए दावा किया गया कोई भी कर क्रेडिट, जिसका दावा पहले रिटर्न में नहीं किया गया है, यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

उपर्युक्त कर में, ऐसे पूर्व रिटर्न के संबंध में जारी किए गए रिफंड की राशि, यदि कोई हो, से वृद्धि की जाएगी।

अद्यतन रिटर्न के समय देय अतिरिक्त आयकर

धारा 139(8A) के तहत अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत करते समय देय अतिरिक्त कर होगा -

- (i) ऊपर निर्धारित अनुसार देय कर और ब्याज के कुल योग का 25%, यदि ऐसा रिटर्न धारा 139(4) या 139(5) के तहत उपलब्ध समय की समाप्ति के बाद

	<p>और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 12 महीने की अवधि पूरी होने से पहले प्रस्तुत किया जाता है; या</p> <p>(ii) ऊपर निर्धारित अनुसार देय कर और ब्याज की कुल राशि का 50%, यदि ऐसा रिटर्न संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 12 महीने की समाप्ति के बाद लेकिन संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 महीने की अवधि पूरी होने से पहले प्रस्तुत किया जाता है।</p> <p>(iii) ऊपर निर्धारित अनुसार देय कर और ब्याज की कुल राशि का 60%, यदि ऐसा रिटर्न संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 महीने की समाप्ति के बाद लेकिन संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 36 महीने की अवधि पूरी होने से पहले प्रस्तुत किया जाता है।</p> <p>(iv) ऊपर निर्धारित अनुसार देय कर और ब्याज की कुल राशि का 70%, यदि ऐसा रिटर्न संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 36 महीने की समाप्ति के बाद लेकिन संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 48 महीने की अवधि पूरी होने से पहले प्रस्तुत किया जाता है।</p>
139(9)	<p>दोषपूर्ण रिटर्न</p> <p>जहां कर निर्धारण अधिकारी का मानना है कि आयकर विवरणी दोषपूर्ण है, तो वह करदाता को त्रुटि की सूचना दे सकता है तथा उसे सूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर त्रुटि को सुधारने का अवसर दे सकता है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी करदाता द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर अपने विवेकानुसार अनुमति दे सकता है।</p> <p>यदि इस अवधि के भीतर त्रुटि का निवारण नहीं किया जाता है, तो रिटर्न को अमान्य माना जाएगा। परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि करदाता रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहा हो।</p> <p>तथापि, जहां करदाता 15 दिन या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गई अतिरिक्त अवधि की समाप्ति के बाद, लेकिन कर निर्धारण किए जाने से पहले, त्रुटि को ठीक कर लेता है, तो कर निर्धारण अधिकारी विलंब को माफ कर सकता है और रिटर्न को वैध रिटर्न मान सकता है।</p>
234F	<p>आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क</p> <p>यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 139 के अंतर्गत आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे शुल्क के रूप में ₹5,000 का भुगतान करना होगा। तथापि, यदि व्यक्ति की कुल आय ₹5 लाख से अधिक नहीं है, तो देय शुल्क ₹1,000 से अधिक नहीं होगा।</p>

<p>139A</p>	<p><u>स्थायी खाता संख्या (PAN)</u></p> <p>निम्नलिखित निर्धारित लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों में PAN का उल्लेख करना अनिवार्य है:</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी भी आयकर प्राधिकारी को भेजे गए सभी रिटर्न या उनके साथ पत्राचार में; अधिनियम के अंतर्गत देय किसी भी राशि के भुगतान के लिए सभी चालानों में; उसके द्वारा किए गए ऐसे लेन-देन से संबंधित सभी दस्तावेजों में, जैसा कि CBDT द्वारा राजस्व के हित में निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मोटर वाहन की बिक्री या खरीद, किसी होटल को किसी भी समय बिल या बिलों के विरुद्ध ₹50,000 से अधिक की नकद राशि का भुगतान, आदि। <p><u>PAN और आधार संख्या की परस्पर परिवर्तनशीलता</u></p> <p>प्रत्येक व्यक्ति जिसे अपना PAN प्रस्तुत करना, सूचित करना या उद्धृत करना आवश्यक है, वह PAN के बदले में अपना आधार नंबर प्रस्तुत कर सकता है, सूचित कर सकता है या उद्धृत कर सकता है, यदि वह</p> <ul style="list-style-type: none"> - उसे PAN आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन उसके पास आधार संख्या है - उसे PAN आवंटित किया गया है और उसने धारा 139AA(2) में निहित आवश्यकता के अनुसार निर्धारित प्राधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित कर दिया है।
<p>139AA</p>	<p><u>आधार संख्या का उल्लेख</u></p> <p>1.7.2017 को या उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति द्वारा PAN आवंटन के लिए आवेदन और आयकर रिटर्न में उद्धृत किया जाना है।</p> <p>यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो नामांकन के समय उसे जारी किए गए आधार आवेदन पत्र की नामांकन ID का उल्लेख किया जाएगा।</p> <p>हालाँकि, 1 अक्टूबर, 2024 से PAN आवंटन के लिए या प्रस्तुत आय विवरणी में आधार आवेदन की नामांकन ID उद्धृत करने का विकल्प बंद कर दिया गया है।</p> <p>प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1.7.2017 तक PAN आवंटित किया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे 31.3.2022 तक या उससे पहले निर्धारित प्राधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित करना होगा।</p> <p>इसके अलावा, जिस व्यक्ति को 1 अक्टूबर, 2024 से पहले दाखिल किए गए आधार आवेदन पत्र की नामांकन ID के आधार पर PAN आवंटित किया गया है, उसे 1 अक्टूबर, 2024 तक या उससे पहले अपना आधार नंबर सूचित करना होगा।</p>

31 दिसंबर, 2025 तक या सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट किसी भी तिथि तक, निर्धारित तरीके से निर्धारित प्राधिकारी को आधार संख्या जमा करनी होगी।

यदि ऐसा व्यक्ति 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले इसकी सूचना देने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का PAN निष्क्रिय हो जाएगा और उसे नियम 114(5A) के साथ धारा 234H के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा, अर्थात् ₹1,000।

यदि ऐसा व्यक्ति जिसने 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले अपना आधार नंबर नहीं बताया है, उसने नियम 114(5A) के साथ धारा 234H में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने के बाद, 31 मार्च, 2022 के बाद धारा 139AA(2) के तहत अपना आधार नंबर सूचित किया है, तो उसका PAN आधार नंबर की सूचना देने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सक्रिय हो जाएगा।

निष्क्रिय PAN के परिणाम बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तिथि अर्थात् **1.7.2023** से प्रभावी होंगे [परिपत्र संख्या 3/2023 दिनांक 28 मार्च, 2023]



अपने ज्ञान का परीक्षण करें

- कारण सहित बताइये कि आप निम्नलिखित कथनों से सहमत हैं या असहमत:
 - सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) की आय विवरणी किसी भी भागीदार द्वारा सत्यापित की जा सकती है।
 - श्री A के मामले में, जिनका कुल कारोबार ₹ 160 लाख (₹ 100 लाख नकद प्राप्त) है, 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए, चाहे उन्होंने धारा 44AD के तहत अनुमानित आय घोषित की हो या नहीं, धारा 139(1) के तहत विवरणी दाखिल करने की समय-सीमा 31 अक्टूबर, 2026 है।
- श्री विनीत ने धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना और 12.07.2026 को वैकल्पिक कर व्यवस्था (अर्थात् अधिनियम के सामान्य प्रावधान) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आयकर विवरणी प्रस्तुत की, जिसमें "वेतन", "गृह संपत्ति से आय" और बैंक ब्याज शीर्षकों के अंतर्गत आय शामिल है। 21.12.2026 को, उन्हें पता चला कि उन्होंने बचत बैंक खाते पर ब्याज आय के संबंध में धारा 80TTA के अंतर्गत कटौती का दावा नहीं किया था। वह अपनी आयकर विवरणी संशोधित करना चाहते हैं। क्या वह ऐसा कर सकते हैं? परीक्षण कीजिए। यदि उन्हें 21.03.2027 को इस चूक का पता चलता, तो क्या आपका उत्तर भिन्न होता?
- आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के संबंध में, कारण सहित जांच करें कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य:
 - कर निर्धारण अधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी ऐसे व्यक्ति को PAN आवंटित करने का अधिकार है, जिस पर कोई कर देय नहीं है।
 - जहाँ किसी एचयूएफ का कर्ता भारत से अनुपस्थित है, वहाँ आयकर रिटर्न का सत्यापन परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य द्वारा किया जा सकता है।
- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत "हानि विवरणी" शब्द की व्याख्या कीजिए। क्या किसी हानि को आगे बढ़ाया जा सकता है, भले ही हानि विवरणी आवश्यकतानुसार दाखिल न की गई हो?
- श्री आकाश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुछ लेन-देन किए हैं, जो नीचे सूचीबद्ध हैं। आपको उन लेन-देनों की पहचान करनी होगी जिनके लिए संबंधित दस्तावेजों में PAN नंबर बताना अनिवार्य है -

क्र. सं.	लेन-देन
1.	स्वयं और जीवनसाथी के जीवन का बीमा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में LIC को खाताधारक चेक द्वारा ₹ 45,000 के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान
2.	परिवार के साथ 5 दिनों के लिए ठहरने हेतु एक पांच सितारा होटल को ₹ 1,00,000 का भुगतान किया गया, जिसमें से ₹ 60,000 नकद दिए गए।
3.	भारतीय कंपनी A लिमिटेड के डिबेंचर प्राप्त करने के लिए बैंक खाते के माध्यम से ECS द्वारा ₹ 80,000 रुपये का भुगतान
4.	रिश्तेदारों से मिलने के लिए तीन दिन की दुबई यात्रा हेतु थॉमस कुक को अकाउंट पेयी चेक द्वारा ₹ 95,000 का भुगतान
5.	क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एसबीआई में आवेदन किया।

उत्तर

1. (a) असहमत

LLP की आय का विवरण एक नामित भागीदार द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

कोई अन्य भागीदार केवल निम्नलिखित मामलों में LLP की आय विवरणी का सत्यापन कर सकता है:-

- जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा नामित भागीदार रिटर्न सत्यापित करने में सक्षम नहीं है, या,
- जहां कोई नामित भागीदार नहीं है।

(b) असहमत

यदि श्री A धारा 44AD के प्रकल्पित कराधान प्रावधानों के अनुसार अपनी व्यावसायिक आय (₹11.60 लाख या अधिक) प्रस्तुत करते हैं, तो धारा 139(1) के अंतर्गत 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि 31 जुलाई, 2026 होगी।

यदि श्री A 11.60 लाख रुपये से कम की व्यावसायिक आय घोषित करना चाहते हैं, तो उन्हें धारा 44AB के तहत अपने खातों का ऑडिट करवाना होगा, क्योंकि उनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसी स्थिति में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2026 होगी।

- चूंकि श्री विनीत की आय केवल "वेतन", "गृह संपत्ति से आय" और "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षकों के अंतर्गत है, इसलिए वे ऐसे व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते जिनके खातों का आयकर अधिनियम, 1961 या किसी अन्य लागू कानून के तहत ऑडिट किया जाना आवश्यक है। इसलिए, उनके मामले में,

धारा 139(1) के तहत निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि 31 जुलाई, 2026 है। चूँकि श्री विनीत ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 12.7.2026 को अपना रिटर्न दाखिल किया था, इसलिए उक्त रिटर्न धारा 139(1) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर है।

धारा 139(5) के अनुसार, धारा 139(1) के अंतर्गत प्रस्तुत रिटर्न को संशोधित किया जा सकता है। इसलिए, श्री विनीत धारा 80TTA के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए दिसंबर 2025 में धारा 139(1) के अंतर्गत दाखिल आयकर रिटर्न को संशोधित कर सकते हैं, क्योंकि संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले, जो कि 31.12.2026 है, है।

हालाँकि, यदि उन्हें इस चूक का पता 21-03-2027 को चला तो वे रिटर्न संशोधित नहीं कर सकते, क्योंकि यह 31.12.2026 के बाद की तारीख है।

3. (i) **सत्य:** धारा 139A(2) में प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी, निर्धारित लेनदेन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, किसी अन्य व्यक्ति को भी निर्धारित तरीके और प्रक्रिया के अनुसार PAN आवंटित कर सकता है, चाहे उसके द्वारा कोई कर देय हो या नहीं।

(ii) **असत्य:** धारा 140(B) में प्रावधान है कि जहां HUF का कर्ता भारत से अनुपस्थित है, वहां आयकर रिटर्न को परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा सत्यापित किया जा सकता है; ऐसा सदस्य पुरुष या महिला सदस्य हो सकता है।

4. हानि विवरणी वह विवरणी है जो कुछ निश्चित हानियों को दर्शाती है। धारा 80 में प्रावधान है कि इसमें निर्दिष्ट हानियों को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक कि ऐसी हानियों का निर्धारण धारा 139(3) के प्रावधानों के तहत दाखिल विवरणी के अनुसरण में न किया गया हो।

धारा 139(3) में कहा गया है कि इसमें निर्दिष्ट हानियों को आगे ले जाने के लिए, रिटर्न धारा 139(1) में निर्दिष्ट समय के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।

धारा 139(3) के अंतर्गत निम्नलिखित हानियाँ आती हैं:

- धारा 72(1) के तहत आगे ले जाने वाली व्यावसायिक हानि,
- धारा 73(2) के तहत आगे ले जाने के लिए सट्टा व्यापार हानि,
- निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाली हानि को धारा 73A(2) के अंतर्गत आगे ले जाया जाएगा, यदि करदाता ने धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।
- धारा 74(1) के तहत आगे ले जाए जाने वाले “पूँजीगत लाभ” शीर्षक के तहत हानि; और

- धारा 74A(3) के तहत रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि में हुई हानि को आगे बढ़ाया जाएगा

तथापि, धारा 71B के तहत गृह संपत्ति से होने वाली हानि और धारा 32 के तहत अनवशोषित मूल्यहास को आगे ले जाया जा सकता है, भले ही धारा 139(3) के तहत अपेक्षित हानि का रिटर्न दाखिल न किया गया हो।

5.

	लेन-देन	क्या संबंधित दस्तावेजों में PAN का उल्लेख करना अनिवार्य है?
1.	स्वयं और जीवनसाथी के जीवन का बीमा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में एलआईसी को खाताधारक चेक द्वारा ₹ 45,000 के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भुगतान की जाने वाली राशि ₹ 50,000 से अधिक नहीं होगी।
2.	परिवार के साथ 5 दिनों के लिए ठहरने हेतु एक पांच सितारा होटल को ₹ 1,00,000 का भुगतान, जिसमें से ₹ 60,000 नकद दिए गए।	हाँ, चूँकि नकद भुगतान की गई राशि ₹ 50,000 से अधिक है।
3.	भारतीय कंपनी ए लिमिटेड के डिबेंचर प्राप्त करने के लिए बैंक खाते के माध्यम से ईसीएस द्वारा ₹ 80,000 का भुगतान	हाँ, चूँकि डिबेंचर प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई राशि ₹ 50,000 से अधिक है। इस मामले में भुगतान का तरीका प्रासंगिक नहीं है।
4.	रिश्तेदारों से मिलने के लिए तीन दिन की दुबई यात्रा हेतु थॉमस कुक को अकाउंट पेयी चेक द्वारा ₹ 95,000 का भुगतान	नहीं, चूँकि राशि का भुगतान अकाउंट पेयी चेक द्वारा किया गया था, इसलिए PAN का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, भले ही भुगतान ₹ 50,000 से अधिक हो।
5.	क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए SBI में आवेदन किया।	हाँ, क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकिंग कंपनी को आवेदन करते समय PAN का उल्लेख करना अनिवार्य है।